सदन को कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House thereupon adjourned for lunch at twelve minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock the Vice-Chairman (Shri R. Ramakrishnart) in the Chair.

FELICITATIONS TO THE VICE-CHAIRMAN, SHRI R. RAMAKRISHNAN

SHRI MURLIDHAR CHANDRA-KANT BHANDARE (Maharashtra): May I, on behalf of my colleagues and on my own behalf, accord you a very hearty welcome and wish you a very distinguished career in your new assignment.

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA (Rajasthan): I also join my col-league#

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: (Orissa): I also join my colleague.

SHRI PATTIAM RAJAN (Kerala): I also join my colleague.

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): Ladies won't lag behind. They also join you.

THE DECLARATION AND PUBLIC SCRUTINY OF ASSETS OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL, 197&. .Contd.

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, हमारे साथी श्री बागाईतकर जी का विधेयक आया है कि मन्त्रियों और संसद-सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक समीक्षा होनी चाहिए । इस विषय पर पिछले कई सत्रों में विचार हो चुका है और चल रहा है । मैं श्री बागाईतकर जी के इस विधेयक के पक्ष में नहीं हूं और मैं इस का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह सच है कि आज हमारे समाज में काफी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । कहा जाता है कि आज भारतवर्ष में बीस हजार से पच्चीस हजार करोड़ तक का काला धन मौजूद है और एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है इस धन की वजह से । यही कारण है कि हमारी जरूरत की तमाम चीजें जो हमें मिलनी चाहिए कभी-कभी नहीं मिल पातीं, हमारे व्यापारीगण और उन से सम्पर्क रखने वाले दूसरे लोग ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर उन का कुप्रभाव पड़ता है ।

लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अर्थ-व्यवस्था पर यह जो कुप्रभाव पड़ता है ब्लैक मनी का गलत पैसों का इसमें हमारे मंत्रिगण या हमारे संसद सदस्य बहुत जिम्मेदार हैं। चाहे यह हमारे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जहां भी संसद सदस्यों का सवाल है और मंत्रियों का सवाल है, यह सोचना कि हममें से कोई इस प्रकार का कार्य करता है यह सर्वथा अनुचित होगा। संसद सदस्य लगभग कम से कम लोक-सभा में जो बैठते हैं और हम लोग जो भारत वर्ष में 10 लाख लोगों के ऊपर एक संसद सदस्य आता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको 10 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त हो, उनके ऊपर आशंकित होना और इस प्रकार से यह मांग करना कि उनकी आस्तियों की घोषणा होनी चाहिए उनकी सम्पत्ति की समीक्षा होनी चाहिए सच्चे दिल से उसकी कोई आवश्यकता में, नहीं समझ पाता हूं । आज जो हमारे यहां रियल असेट्स हैं, जिनकी गणना होनी चाहिए, वास्तव में वह असेट्स, वह सम्पत्ति बिग बिजिनेसमैन के पास है और बड़े-बड़े व्यापारियों

के अलावा हमारे बहुत से ऊंचे अधिकारीगण होते हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगते हैं कि वह व्यापारियों से मिल कर या अपने सन्तोष के लिए इस तरह के कामों में प्रवृत्त रहते हैं।

महोदय, संसद सदस्य 5 वर्ष के लिए आता है, 6 वर्ष के लिए आता है या चार वर्ष के लिए आता है और चला जाता है। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो ब्लैक मनी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं होर्डिंग करते हैं, वह तो पुश्त दर पुश्त चलता है। 5 वर्ष में, तीन वर्ष में वह काम नहीं होता, वह तो जैनरेशन टुजैनरेशन इस प्रकार की कार्यवाही चलती रहती है और गलत पैसा, गलत तरीकों से इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार, जैसा मैंने कहा कि बहुत से अधिकारीगण जिनके खिलाफ हमारे एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट समय-समय पर कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। ये हमारे अधिकारीगण 30 वर्ष काम करते हैं, कोई 25 वर्ष काम करते हैं तो इन 25-30 वर्षों के दौरान काम करते-करते वह इस तरह का एक महत्व अपना बना लेते हैं, इस तरह की कारगुजारियां कर लेते हैं कि वह जनता का शोषण कर सकें। सब नहीं कुछ लोग, मैंने कहा। लेकिन वह इस परिस्थिति में होते हैं कि जनता का शोषण कर सकें और गलत पैसा इकट्ठा कर सकें और उसमें सहायता कर सकें या कमीशन ले सकें आदि आदि। लेकिन संसद सदस्य जो 4-5 वर्ष के लिए ही आते हैं और जिसको सदैव जागरूक रहना पड़ता है, अपनी सार्वजनिक छवि को अच्छा बनाये रखने के लिए ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा दुबारा वह नहीं आ पाता है, उसकी आलोचना होती है और कभी भी इस तरह के कामों में पड़ेगा, यह मैं नहीं समझता हूं। रही मंत्रियों की बात तो मंत्रियों का सार्वजनिक जीवन तो और ज्यादा समाज के सामने रहता है। मंत्रीगण, पहले से ही नियम बने हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपने असेट्स के बारे में सारा स्पष्टीकरण देते हैं। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की आस्तियों और उनकी सम्पत्ति का लेखा-जोखा लगाया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, उसके बाद हम कहें कि उन मंत्रियों की सम्पत्ति की समीक्षा होनी चाहिए, उनकी आस्तियों की समीक्षा होनी चाहिए, यह उचित नहीं है। इससे हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसके ऊपर भी एक गलत प्रभाव पड़ता है। हम आजकल देखते हैं कि किसी के विषय में कुछ भी कह देना आसान है। जो हमारे समाचार पत्र हैं विशेष रूप से छोटे समाचार पत्र उसमें आप देखें कि उनमें स्थानीय लोगों से इस प्रकार के विचार रखे जाते हैं कि फलां ने इतना पैसा जमा कर लिया, फलां मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता है उनके पास कोई प्रूफ हो। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। केवल किसी के व्यक्तित्व के हनन के लिये चरित्र के हनन के लिये कुछ लोगों के द्वारा निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा इस प्रकार की बात कही जाती है लेकिन सत्यता का अंश बहुत कम होता है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं ऊंचे-ऊंचे अफसर हैं उनकी सम्पत्ति की समीक्षा अवश्य होनी चाहिये। उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिये। अगर कहीं पर कुछ गलत पाया जाए तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। असल में सम्पत्ति उनके पास है और वे ही लोग हैं जो हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह की एक मशीनरी बनाई जानी चाहिये जो समय-समय पर, हमारे जो बड़े-बड़े बिजनैस हाउसेज हैं, उद्योगपति हैं, कालाबाजारी करने वाले हैं, चोर बाजारी करने वाले हैं

[श्री पी० एन० सुकुल]

जिन पर आशंका होती है, जिसमें इनका हाथ हो सकता है, उनकी समीक्षा कर सके। हमारे सम्बन्धित विभागों के जो अधिकारी हैं जो उस पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं उनको सुरक्षा जो लोग करते है उनकी समीक्षा उस मशीनरी द्वारा होनी चाहिये। हमारे जन-प्रतिनिधित्व के विषय में इस प्रकार की बात कहना और इस प्रकार का विधेयक लाना उचित नहीं। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा चाहे वह हमारे अपने पक्ष का संसद सदस्य हो और चाहे वह विरोधी पक्ष का साथी हो, वह इस प्रकार की बात करे।

इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश पालियामेंट है उसमें ऐसी व्यवस्था है। वहां पर एक सेलेक्ट कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट 12 दिसम्बर 1974 को प्रस्तुत की गई थी पालियामेंट में और उस रिपोर्ट के ऊपर 12 जून, 1975 को ब्रिटिश पालियामेंट में डिबेट हुई थी। उन्होंने एक इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि डिबेट में ऐसा डिक्लेरेशन हो कि रजिस्ट्रेशन आफ इंटरेस्ट के तहत उनको जो सम्पत्ति है उसका पंजीकरण होना चाहिये, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। खास तौर से जो वित्तीय इंटरेस्ट हैं, पैसे के जो मामले हैं या अदर फाइनेंशियल इस काइंड को हो सकती है उनके लिये इसमें व्यवस्था है। उदाहरण के लिये अगर कोई रेम्युनरेटिव डायरेक्टरशिप किसी कम्पनी के साथ है या पब्लिक या प्राइवेट संगठन के साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। अगर किसी कार्यालय में एम्प्लाइड है या किसी ट्रेड, प्राफेशन वोकेशन से सम्बन्धित है और वह रेम्युनरेशन पाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। उसको लैंड या प्रापर्टी के विषय में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात की तरफ ध्यान देना चाहिये

A Member is only required to enter the source of remuneration or benefit and not

"मेज पालियामन्ट" की प्रेक्टिस का अध्ययन करें तो उसमें आपको विवरण मिल सकेगा। उसमें सदस्य यह तो बताता है कि हमें यहां से रेम्युनरेशन मिला या उस कम्पनी में वह डायरेक्टर है उससे उसकी मिल रहा है लेकिन अमाउंट रिसीवड वह नहीं बताता।

A_n hon. Member is not obliged to reveal the amount received by him.

उसके ऊपर क्या रह जाता है।

हम तो श्री बागाईतकर जी से यह जानना चाहेंगे कि वे हमें बताएं कि वास्तव में हम लोगों को कितना पैसा मिलता है, कितनी हमारी उपलब्धियां हैं कितनी हमारी आस्तियां हैं और कितनी हमारी सम्पत्ति है। इन चीजों का पता लगने के बाद भी यदि यह पता न चले कि कितना पैसा हमें दूसरी जगहों से मिलता है तो फिर इसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। ब्रिटिश पालियामन्ट, जो बहुत मायनों में हमारे लिए आदर्श मानी जाती है अगर वहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और इस बात का पता नहीं होता है कि सदस्य को कितना पैसा मिल रहा है तो इस प्रकार की व्यवस्था यहां करने का क्या लाभ है? ऐसी स्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि यह सारी एक्सरसाइज, यह सारी कसरत बेकार है। मैं माननीय सदस्य श्री बागाईतकर जी से जो यह विधेयक यहां पर लाये हैं, यह निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक पर पुनः विचार करें। अगर वे समझते हैं कि संसद् सदस्यों और मंत्रियों की वजह से आज हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तो यह दूसरी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं और न ही हमारी जनता समझती है कि मंत्रिगणों या संसद् सदस्यों की वजह से हमारी अर्थ

the amount received. 5TTT

व्यवस्था को कोई खतरा उत्पन्न हो गया गया है।

जहां तक स्टेट्स का सवाल है, राज्यों में लोकायुक्त विद्यमान हैं। वहां पर लोकायुक्त का इंस्टिट्यूशन काम कर रहा है। किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी अफसर के खिलाफ या किसी भी ऊंचे पदाधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो लोकायुक्त सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है। राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद है और केन्द्र में प्रधान मंत्री जी को हमारे मंत्रीगण अपनी सम्पत्ति और आस्तियों की जानकारी देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे संसद् सदस्यों पर जो हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पार्लियामेन्ट में बैठते हैं और जिनमें से प्रत्येक सदस्य दस लाख भारत वासियों का प्रतिनिधित्व करता है उनके ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना और यह समझना या प्रिज्यूम करना कि उनके पास गलत पैसा आता है यह प्रिजम्पशन ही बेसिकली गलत है। किसी के खिलाफ कोई निश्चित आरोप हो और कोई निश्चित प्रूफ हो तो उसकी जांच की जा सकती है और उनसे पूछा जा सकता है कि वे अपना स्पष्टीकरण दें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में हमारे मंत्रीगणों पर या संसद् सदस्यों पर चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनके बारे में किसी प्रकार का गलत विचार रखना उचित नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि हमारे श्री बागाईतकर जी इस विधेयक को अच्छे आशय से लाये होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि उसकी समीक्षा की जाय। अगर कोई भी संसद् सदस्य या मंत्री गलत ढंग से पैसा इकट्ठा करता है तो यह बात उनकी कांस्टिट्यूएन्सी के लोगों से छिप नहीं सकती है। जिस शहर या इलाके से वह चुनकर आता है वे लोग इस बात को समझ जायेंगे और दूसरी बार उसको चुन कर नहीं भेजेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे संसद् सदस्य अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और जो गलत वातावरण बनाया जाता है उसको सहज रूप से ठीक करने का प्रयास करें। अगर वे एक दूसरे की आलोचना करेंगे और एक दूसरे पर प्रहार करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। तो इससे हमारा और आपका जो उद्देश्य है उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन जो बड़े-बड़े बिजनेस मैन है, बिजनेस हाउसेज हैं वे गलत तरीके से इसका फायदा उठायेंगे और हम आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे इसलिये जो इस विधेयक का उद्देश्य है इससे पूरा नहीं होगा जो वास्तविक उद्देश्य है कि समाज के अन्दर जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में दोष हैं उनको हम ठीक करें, हम स्मगलर्स को पकड़े हम जो चोर बाजारी करते हैं उनको पकड़े जो काला बाजारी काला-धंधा करते हैं जो जमा-खोरी करते हैं उनको पकड़े और जो लोग उनके साथ सहयोग करते हैं चाहे वह कोई भी हो, हम उनको भी पकड़ें और उनको भी सजा दें कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को, जो हमारे देश के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, और किसी भी हमारे संसद सदस्य का अगर इस प्रकार की सूचना किसी व्यक्ति, किसी व्यावसायिक, किसी अधिकारी के खिलाफ किसी भी विषय में मिले तो जैसा मैंने कहा कि वह उस सूचना को सदन में रखकर हमारी सरकार को बताकर जांच करा सकता है उस पर आवश्यक कार्यवाही हो सुनिश्चित करा सकता है। लेकिन केवल यह नहीं कि मंत्रियों की ही खाली समीक्षा होनी चाहिए संसद् सदस्यों की ही समीक्षा होनी चाहिए और इससे जो है वह सारे देश की अर्थ व्यवस्था ठीक हो जायेगी और भारतवर्ष की अर्थ-व्यवस्था

[श्री पी० एन० सुकुल]

बिलकुल ठीक हो जायेगी, बढ़िया हो जायेगी यह सोचना ठीक नहीं है। अगर हमें ऐसा महसूस होता है तो यह हमारा एक व्यक्तिगत आग्रह हो सकता है। लेकिन हमारे समाज का ऐसा कोई आग्रह नहीं है। अगर इस प्रकार की बात होती इसमें कोई वास्तविकता होती तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक बागाईतकर साहब उस समय लाते जब कि जनता पार्टी का शासन था, जब उनकी पार्टी का शासन था। उस समय बड़ी आसानी के साथ वे इस विधेयक को पास करा सकते थे। लेकिन उस समय इस विधेयक को लाने की हमारे साथियों ने कोई जरूरत नहीं समझी। लेकिन उस समय आज से ज्यादा अखबारों में लोगों के ऊपर प्रहार हो रहा था, उनकी आलोचना हो रही थी और प्रधान मंत्री से लेकर उनके लड़के और तमाम बड़े बड़े जो जनता पार्टी के नेतागण थे उनके ऊपर इस तरह का ... जो ऐसे तत्व है उनको ठीक करिये अगर आप यह कर लेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप केवल यह सोचें कि खाली मंत्रियों और संसद सदस्यों की समीक्षा करा के हम कुछ पाने जा रहे हैं, हमारा देश कुछ पाने जा रहा है, हमारे समाज की और जनता की कोई उपलब्धि होने जा रही है ठीक रूप से, तो आप बड़े मुगालते में हैं। बागाईतकर साहब मैं यह कहूंगा कि जो मैंने यह कहा—शायद आपको लगा होगा—कि जनता पार्टी के शासन में क्यों नहीं आप यह विधेयक लाये ...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: You were wrong on facts. I only corrected you.. This Bill was introduced by me when the Janata Party was in power. It is a private Member's Bill. I introduced it in the House when the Janata Party was in power.

SHRI P. N. SUKUL: It was introduced, no doubt ... *(Interruptions)* There could have been a discussion. What did that Government do? If this Bill was allright and if that Government was very ,(muoh contvinjcedj about it, about its utility, then, that Government could have adopted it.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): I would like to correct him. This was introduced by me when that Party was in power. It is not my fault if this Bill had not come up for discussion when the Janata Party was in power. It is just a procedure, and it has come up for discussion now. This Bill was introduced by me when the Janata Party was in power.

SHRI P. N. SUKUL: I would like him to correct himself and his party-men to begin with. Let charity begin at home.

अगर आप इस को ठीक करना चाहते है तो आप पहले अपने लोगों को ठीक करिये। अगर आप ऐसा वाकई महसूस करते हैं तो अपनी पार्टी के अन्दर लाकिन मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर जनता पार्टी का शासन आ जाये तब तो हम यह मांग करें कि हां साहब मंत्रियों की एसेट, सम्पत्ति जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए परन्तु जब हमारा शासन हो तब हम इस तरह की मांग न करें। तो यह इस तरह का ड्यूलिज्म पैदा करता है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): उन्होंने तो इस बिल को जनता पार्टी के शासन में ही पेश किया था। आपने उनको इसके लिये बधाई क्यों नहीं दी ?

श्री पी० एन० सुकुल : बधाई तो देता हूं, परन्तु इसका नतीजा क्या हुआ ? . . . (**व्यवधान**) . . .

मेरा कहने का सिर्फ यह अभिप्राय है उपसभाध्यक्ष महोदय कि इस तरह का जो यह विधेयक लाया गया है इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है, भारतीय अर्थ व्यवस्था में इसके द्वारा कोई सुधार होने वाला नहीं है । होने वाला क्या है इससे, गलत जगह पर दबाव डालकर और जो सही जगह है जहां पर हम को लोगों को पकड़ना है, जो गलत लोग हैं, इससे व एस्केप कर जायेंगे । जैसे कि अभी एस्केप कर रहे हैं । इसलिए जरूरी है कि जिनके पास काला धन है, जिनके पास 20–25 हजार करोड़ रुपये बैंकों में हैं उनको आप पकड़वाइये, उनकी समीक्षा करवाइये ।

Take them to task first if you are really interested in the welfare of the country and you want to improve the economy of the country. With these words I oppose this Bill,

SHRI SADASHTV BAGAITKAR: Sir, I will seek your guidance. I do not understand what is going on in the House. Last time when Mr. Makwana gave a reply on behalf of the Government, I was asked to reply. When Mr. Makwana concluded his speech it waa 5.00 O'clock, so I could not start my speech. I thought, with my reply the debate on this Bill will conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): After Mr. Makwana's reply, today there are a number of speakers and this being a very important Bill I think you will have the right to reply ha. the end.

SHRI SADASHTV BAGAITKAR: That is not the point. I was asking: Is it a proper procedure. Last time I was asked to reply to the debate but the time was not there. I have no objection if you want to reopen the debate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R RAMAKRISHNAN): At that time there were no speaker, but today we have a number of speakers.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Does it mean that it will go on like this? Supposing this list is concluded today and tomorrow you get another list, when will it conclude?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); We will conclude it shortly. Yes, Shri Hari Shankar Bhabhra.

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री बागाईतकर जी ने जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है उसका विरोध सत्ताधारी दल की ओर से अभी माननीय सदस्य ने किया । लेकिन जो तर्क उन्होंने दिये वे बड़ लचर लगे । देखना यह है कि आखिर इस बिल का उद्देश्य क्या है । अब उन्होंने यह तो बताया कि काला-धन व्यापारियों के कारण होता है क्योंकि वे पुश्तैनी तौर पर धन्धा करते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य या मंत्री कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं यह भी एक तथ्य है । व्यापारियों के गलत कार्यों से काला धन होता है यह बात भी सही है लेकिन यह बात भी आवश्यक है कि भ्रष्टाचर को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जो सत्ता में हैं जो राज्य चलाते हैं उनका आचरण भी जनता के सामने बिलकुल स्वच्छ और आदर्श रूप में रहना चाहिये । उन्होंने और कई देशों का उदाहरण दिया । मैं समझता हूं जहां तक ब्रिटेन और अमरीका का सवाल है ब्रिटेन और अमरीका में वयस्क मताधिकार है, अडल्ट फ्रेंचाइज है । वहां पर वयस्क मताधिकार एकदम से शुरू नहीं हुआ था । यह वहां पर प्राकृतिक रूप से इवाल्व हुआ और बहुत लम्बे समय के बाद

[श्री हरी शंकर भामड़ा]

में जा कर वहां पर लयस्क मताधिकार हुआ। जबकि हमारे देश में वयस्क मताधिकार आजादी के तुरंत बाद लागू हो गया। इसलिए एसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम उपरोक्त देशों का अनुसरण नहीं करें और अपने देश की परिस्थितियों को देख कर और उनके अनुसार अपना आचरण बनाने का प्रयास करें। मान्यवर, इस देश के अन्दर हम अपने पुराने इतिहास को उठा कर देखें तो हमें पता चलेगा कि यथा राजा तथा प्रजा होता है। राम राज्य था लेकिन राम के बाद और राम के पहले स्थिति में भिन्नता दिखाई पड़ती है। जब तक राम रहे राम राज्य रहा सब कुछ ठीक रहा और उनके जाने के बाद उतना ठीक नहीं रहा जितना उनके समय में ठीक रहा। इसी तरह से और भी जितने अच्छे प्रशासक, राजा-महाराजा, सम्राट हुए हैं उनके जीवन-काल में जो अच्छा था वह सब कुछ अच्छा रहा और उनके मरने के बाद उनके लड़के के साथ सारे का सारा समाज ही साथ हो गया और उसमें एक दम परिवर्तन हो गया। तो यह स्थिति इस देश में चलती रही है इसको देखते हुए यह आवश्यक है कि इस देश में राज्य करने वाले मंत्री और जो विधायिका के सदस्य हैं पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनका आचरण बिलकुल साफ तौर से जनता के सामने रहना चाहिए ताकि उसकी आड़ में न व्यापारियों द्वारा काला धन बनाया जा सके और न और कोई काला धन बना सके। मान्यवर, इस संबंध में सन् 1962 में संथानम कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात पर आग्रह किया है कि भ्रष्टाचार बढ़ने से रोकने के लिए उसकी जड़ें और अधिक मजबूत न हों इसके लिए यह आवश्यक है कि पार्लियामेंट के सदस्य, मंत्रिगण अपनी आय के स्रोतों को, अपनी आय को साफ-साफ तौर से जनता के सामने रखें और उसको प्रकट करें।

3 P. M.

हमारे यहां जिस तरह की स्थिति चल रही है, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट के सदस्य या और मंत्री लोग भ्रष्ट नहीं हैं, या उनके पास भ्रष्टाचार से पैसा नहीं आता है। अब कहने के लिये इस हाउस में यह बात कही जा सकती है। लेकिन हमारे यहां तो भ्रष्टाचार के ऐसे तरीके हैं जो सब जानते हैं। लेकिन उसको साबित नहीं कर सकते हैं।

आज हिन्दुस्तान के इस कोने से उस कोने तक चले जाइये सारी जनता जानती है। मैं तो कहूंगा कि आज देश पर सब से बड़ा संकट यह आया है कि सारे राजनीतिज्ञों की क्रेडेबिलिटी समाप्त हो चुकी है। आज एक साधारण आदमी से बात करिये। वह कहेगा कि हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ पार्लियामेंट मैम्बर्ज हैं--आप तो पार्लियामेंट के सदस्यों और मंत्रियों की बात करते हैं, वह आपके छुटभइयों को भी नहीं छोड़ते हैं और इसके अनेक कारण हैं। यह इतना ही नहीं है कि आप पार्लियामेंट के सदस्य बन गये, आप मंत्री के पास अप्रोच कर सकते हैं, अतएव मंत्री के पास जो हथियार हैं, उनका वह दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं हैं, आपके माध्यम से उन्होंने धंधा बना रखा है और वह आमदनी करते हैं, कोटा दिलवाते हैं, परमिट दिलवाते हैं, लाइसेंस दिलवाते हैं, बाकायदा एजेंसी करते हैं। यह बातें जग जाहिर हैं। इसको आप यहीं साफ तौर से स्वीकार न करें, लेकिन जो बात जनता जानती है, सारे हिन्दुस्तान को जिसका पता है, उसको आप कब तक दबाते रहेंगे और जब अभी-अभी कल-परसों ही प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार

से लड़ने के लिये कटिबद्ध हैं, तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे । अब केवल यह कह देने मात्र से कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये हम कटिबद्ध हैं, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा । कहीं न कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और उसकी सब से अच्छी शुरुआत यह है कि हमारे मंत्री महोदय, हमारे पार्लियामेंट के सदस्य, कम से कम वह अपने आचरण को साफ तौर से जनता के सामने रखें, जो कुछ भी सम्पत्ति उनके पास है, उनको वह घोषित करें, और उनका जो उद्योगपतियों से संबंध है, उसमें जो उनका लेन-देन होता है, उसको भी वे साफ करें । कई बार ऐसा होता है कि उद्योगपति अपने ही कानूनी काम कराने के लिये कई विधायकों को अपनी नौकरी में रखते हैं और वेतन देते हैं । मैं मानता हूं कि वे कानूनी काम कराते होंगे, गैर-कानूनी नहीं कराते होंगे । लेकिन उसको भी साफ तोर से जनता के सामने रखना चाहिए । यह बात भी साफ होनी चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो उद्योगपतियों के वेतन भोगी हैं, और उनका कानूनी काम करवाते हैं और उसमें कितना पैसा वह ले रहे हैं, यह बात भी जनता के सामने आनी चाहिए ।

श्रीमती सरोज खापर्डे : यह बात आप किसी खास व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं या वैसे ही बता रहे हैं ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैं सन्तानम कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित बता रहा हूं ।

श्रीमती सरोज खापर्डे : यह जो आपने अभी सब कहा, यह जो कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर्ज के बारे में कहा, यह आप अनुभव बता रहे हैं, या कोई व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : आपका अनुभव मेरा अनुभव है मुझे आपका भी पता है । आप कहें तो किसी और का भी बता दूं . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती सरोज खापर्डे : हम दोनों का . . . **(व्यवधान)**

श्री हरी शंकर भाभड़ा : जहां मैं अपने बारे में तो जानता ही हूं, लेकिन आप के बारे में भी जानता हूं । इसलिये अच्छा यह है—और मैंने यह तो कहा नहीं कि आप कोई गैर-कानूनी काम करवाती हैं, जो भी काम कानूनी हो रहा है, वह भी कम से कम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप किसके वेतन भोगी हैं और उससे कितना वेतन लकर के उनके कानूनी काम करवाते हैं । यह गैर-कानूनी काम करवाने की बात तो है ही नहीं, लेकिन कानूनी काम करवाने के लिये भी यदि आप कहीं से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो वह बात भी जनता के सामने आनी चाहिए । यह बात आपत्तिजनक है कि यह निर्णय करना दूसरी बात है, लेकिन जनता के सामने तो आयगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं, वह साफ तौर से उनकी नजर में कर रहे हैं । ठीक है, किसी की कोई स्थिति है, किसी का व्यापार चलता होगा, किसी का नहीं चलता होगा और आपका धंधा चलता होगा । हो सकता है कि उद्योगपति के यहां नौकरी करने वाला ही मैम्बर आफ पार्लियामेंट बन कर के आ जाये, वह ही चुन करके आ जाये और उसकी नौकरी में भी रहे । यह सब बातें संभव हैं । लेकिन यह भी जनता के सामने साफ तभी होगा जब आप उनकी सम्पत्ति की घोषणा यहां पर करेंगे और लोगों को इसका पता चलेगा ।

अब व्यापारियों के बारे में आपने बताया—व्यापारियों से जो संबंध अब संसद सदस्यों के या मंत्रियों के बने रहते

[श्री हरी शंकर भाभड़ा]

है । अब वह संबंध लेन-देन के नहीं हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन यदि कहीं भी कोई लेन-देन का संबंध है, तो वहां भी साफ तौर से लोगों को अंदाज तो लगेगा । कल यदि कोई आदमी मंत्री बनता है, उसके पास कोई पैसा नहीं है और पांच साल के बाद वह लाखों की संपत्ति बना करके चला जाता है, जो लोगों की नजर में आता है । उनके मकानात, रहन-सहन, तौर-तरीके, सब कुछ आते हैं उसको आप कब तक छुपाएंगे ! तो अच्छा यह है कि जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिये यदि आप वास्तव में जैसा कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कटिबद्ध हैं, तो उसकी शुरूआत करने के लिये सबसे अच्छा तरीका इससे और कोई नहीं हो सकता है कि मंत्री और संसद्-सदस्य अपनी आमदनी और अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें । जब तक हम स्वयं सदाचारी नहीं बनेंगे तब तक दूसरों को भ्रष्टाचारी कहने का अधिकार हमें नहीं है चाहे आप व्यापारी के नाम से कहें या किसी और के नाम से कहें । लेकिन यह भी निश्चित है कि यदि आप गुपचुप में भ्रटाचार करेंगे और जनता में यह बतायेंगे कि हम सदाचारी हैं, तो यह बात छिपने वाली नहीं है और लोग यह बोला करेंगे कि आप के मंत्री और बड़े-बड़े संसद-सदस्य भ्रष्टाचार में फंसे हैं तो हम ने कौन सा पाप किया है । नौकरशाही पर भी उसके कारण आप दबाव नहीं डाल सकते । यह बात सिद्ध है कि जो मंत्री भ्रष्टाचार से दूर रहेगा उसके विभाग में किसी नौकर की हिम्मत नहीं होगी कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त होगा । यह तो बिना कहे, बिना कुछ प्रयास किये हो जायेगा । महज नौकरशाही को मालूम होना चाहिए कि हमारा मंत्री घूस खाने वाला नहीं है, पैसा लेने वाला नहीं है, लेन-देन करने वाला नहीं है, तो वह अपने आप डर कर रह जायेंगे । इस लिये न कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, न कोई सर्कूलर भेजने की जरूरत होगी । यह एक सर्वमान्य तथ्य है और इसको नकारा नहीं किया जा सकता । इसी वास्ते यह मांग की जा रही है कि संसद सदस्य व मंत्रीगण अपनी सम्पत्ति को, अपनी आमदनी के स्रोतों को डिस्क्लोज कर दें ताकि लोगों को पता चले कि मंत्री लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बाकी लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा । इन सब बातों को लकर यह जो विधेयक लाया गया है, यह भ्रष्टाचार को मिटाने में बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकता है ।

इसके अलावा एक बात और है । राजनैतिक पार्टियां चंदा लेती हैं । उसमें राजनीतिज्ञ भी होते हैं और अधिकांशत : चन्दा इकठ्ठा करने वाले प्रभावशाली मंत्री या प्रभावशाली संसद्-सदस्य ही होते हैं, और उस चंद में भी वे कितना हिस्सा अपना रखते हैं यह भी साफ होना चाहिए, और मान लीजिये वह किसी व्यापारी से पैसा नहीं लेता , वह किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेता किसी से इल्लीगल काम नहीं कराता और कोई धंधा नहीं करता, लेकिन वह चंदा इक्ट्ठा करता है पार्टी के नाम से लेकिन पार्टी को वह पूरा चंदा नहीं मिलता और जितना पैसा उनके पास बचा होता है वह गुप-चुप रह जाता है, यदि संपत्ति की आय की घोषणा उसने की तो यह करप्शन जो राजनैतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है उसको भी रोका जा सकेगा और यदि इस प्रकार से कुल स्थानों पर--क्योंकि आखिर सारे हिन्दुस्तान में राजनैतिक पार्टियां ही राज कर रही है और इस वास्ते राजनैतिक पार्टियों में काम करने वाले नेताओं का जीवन स्वच्छ रहे, उनका आचरण

स्वच्छ रहे वह भ्रष्टाचार से रहित रहें– इसलिए सारे देश में एक सर्वसामान्य दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और उसके लिए हम ठोस कदम उठा सकते हैं ।

इसलिए श्रीमन्, बागाईतकर जी ने जो यह विधेयक रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं यह देश के हित में है, समाज के हित में है, और आज राजनितिज्ञों ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है और हिन्दुस्तान का सामान्य आदमी आज यह कहने लगा है कि हिन्दुस्तान में कोई राजनीतिज्ञ बिना भ्रष्टाचार के नहीं है, यह जो स्थिति पैदा हुई है इसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के कदम उठाएं और लोगों के मनों में इस बात का विश्वास दिलाएं कि हिन्दुस्तान में अच्छे लोग हैं जो हिन्दुस्तान को अच्छ रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उनका स्वयं का आचरण अच्छा है ।

यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री जे० के० जैन (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी श्री बागाईतकर जी ने कहा, मैंने तो इस बिल को जनता राज में इन्ट्रोड्यूस किया था । मैं बधाई देता हूं उनको इस बात के लिए कि जनता राज में उन्होंने इन्ट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका जो शासन था वह भ्रष्ट नेताओं से भरा हुआ था और ये ऐसे भ्रष्ट नेताओं के बीच में बैठ गए थे कि चारों तरफ लूट-मार मची हुई थी उन के मंत्रियों के बीज और संसद् सदस्यों के बीच में । इस लूट-मार में उन को शामिल नहीं किया इसलिए ये बेचारे करते क्या ? इस लिए मजबूर हो कर इन्हों ने ऐसा बिल पेश किया। बागाईतकर जी, आप के शासन में जो भ्रष्ट मंत्री थे . . .

SHRI HARi SHANKAR BHABHRA: I object. He should address the Chair. This is objectionable. It applies to all; it applies to all political parties whosoever may be in power. Why do you talk of certain parties and certain persons. It applies to all...

श्री जे० के० जैन : हम, हम हैं, तुम, तुम हो, इस लिए तुम जनरेलाइज नहीं कर सकते ।

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: Let us keep the standards.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAJKRISHNAN); Please say whatever you want to say through ' the Chair.

SHRI J. K. JAIN: I am addressing the Chair. It is quite obvious that 1 am addressing the Chair only.

मैं हजारों, सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं । हमें गर्व है, हमारी पार्टी को इस बात का गर्व है कि हमारे शासन काल के अन्दर हजारों नेता मंत्री रहे, बड़-बड़े उंचे पदों पर रहे, लेकिन हटने के बाद उनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं हैं । **(व्यवधान)** आप की आंखों पर वही चश्मा चढ़ा हुआ है भ्रष्टाचार का, चरण सिंह जैसे भ्रष्ट लोगों का, एच० एम० पटेल और कान्ति देसाई जैसे चोरों का । इसी लिए आप उस चश्मे से सारे वातावरण को देखना चाहते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है इस बात का . . .

श्री हरी शंकर भाभड़ा : किसी को चोर कहना पार्लियामेंटरी है? . . **(व्यवधान)**

श्री जे० के० जैन : वह तो चार्जेज लगे हुए हैं । अरे, ये बादल का नाम लेते हैं, बादल जैसे भ्रष्टाचारी को आप ने मुख्य मंत्री बनाया। दूसरे के गिरेबान में हाथ डालोगे . . .

श्री हरी शंकर भाभड़ा : अन्तुले किस पार्टी का था? भजनलाल किस पार्टी का है?

श्री जे० के० जैन : अपने गिरेबान में झांक कर देखिये।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : आप के यहां बहुत निकलेंगे ।

श्री जे० के० जैन : कहा गया ...

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): On a point of order...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: On a point of order. Is it parliamentary? Can you call anybody a theif in this House?

(Interruptions)

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: To which party does Mr. Bhajan Lai belong? To which party does Mr. Antulay belong? To which party does Mr. Gundu Rao belong? To which party does Mr. Jagannath Mishra belong?

(Interruptions)

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Sir, let us keep the dignity of the House. I appeal to you, let the honourable Member not attack anybody personally.

SHRI J. K. JAIN: Again I say I am addressing the Chair. Why are you bothered so much? I am addressing the Chair only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): All honourable Members will get a chance to talk. Mr. Jain, you please continue. Any unparliamentary words will be expunged.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: On a point of order. Is he permitted to attack individuals by name, who are not present in the House and who are Members of the other House?

SHRI J. K. JAIN: Let me make it clear. I am not attacking any Member. I am saying that there were charges of corruption. That is all I am saying...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): This point has been raised again and again in this House and we have come to some agreement, some agreed convention, and even the Rules of Procedure have been amended recently. All honourable Members have adopted the Rules of Procedure. So kindly proceed.

श्री जे० के० जैन : देखिए, बिल बागाईतकर जी का है । इन का नाम तो मझे लेना पडेगा ।

Please tell me whether I can mention his name or not. Can I? Give me permission at least to mention his name. I hope I can do that. Since permission has been granted. I can mention the name of Mr. Bagaitkar.

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है जो हमारे पुराने लोग लिख कर चले गये, उस को कोई मिटा नहीं सकता "सौ-सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली"। अब बिल ला रहे हैं क्यों कि इन्हों ने अपने कोठों को भर लिया है-, कोठों के अन्दर सोना, चांदी और जेवरात भरे हुए हैं । ये वे लोग हैं जिन्होंने देश की सारी सम्पत्ति को लुटा दिया। सारी सम्पत्ति को अपने भाईभती जों को दे दिया । मैं श्री बागाईतकर जी से नहीं कह रहा । वह तो उन लोगों में शामिल हो गये । एक कहावत सुना देता हूं । बागाईतकर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार आदमी हैं । एक छोटी सी कहानी है । एक हंसों का दल आकाश में उड़ा जा रहा था, रास्ते में कहीं एक रंगरेज , जो रंग का काम करते हैं, काले रंग की साड़ियां रंग रहा था, एक हंस उस काले रंग के डिब्बे में गिर गया, गिर जाने पर उस का रंग काला हो गया । पीछे से कौओं का दल आ रहा था, उसने सोचा कि मेरा दल आ रहा है और वह कौओं के दल में शामिल हो गया

थोड़े दिन बाद बारिश हुई उस का रंग साफ हो गया तो उस ने सोचा मैं कहां आ गया, मेरा रंग तो कुछ और था । यह कौओं के दल में मिल गये । मैं तो उन से कहता हूं, बागाईतकर जी, आप इन कौओं में जा कर बैठ गये । अरे, कौओं का साथ छोड़ो । अगर इन कौओं का साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें हर चीज काली और भ्रष्ट नजर आती रहेगी क्यों कि तुमने दामन ऐसे लोगों का पकड़ा है । मैं आप से निवेदन करता हूं कि देश के नेताओं के उपर इस प्रकार के लांछन लगाने से पहले, इस प्रकार का काला बिल लाने से पहले आप को दस बार सोचना चाहिए था । जो नेता देश का शासन चलाते हैं आप उन के ऊपर इस प्रकार का आरोप करने जा रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन की पार्टी के अन्दर बड़े-बड़े 'पाटेखां' बैठे हैं । 'पाटेखां' मैं कह रहा हूं क्योंकि यह जो शब्द है इसे हमारे देश की गरीब जनता बहुत समझती है । कौन 'पाटेखां' हैं । श्री बिजू पटनायक–बड़े-बड़े स्टील के सौदे उन्हों ने किये ।

SHRIHARi SHANKAR BHABHRA: He was in the Congress then.

आप फिर नाम ले रहे हैं ।

SHRI J. K. JAIN: He has already spoken. Why are you permitting him to get up again and again? You gave him *an* opportunity. Please ask him to sit down. He shoud not interrupt me.

आप को नाम लने से बहुत तकलीफ होती है । जब हम कहते हैं चोरों के साथ बैठ गये हो तो कहते हैं अनपार्लियामेंटरी वर्ड है ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : हम एक हजार नाम बता सकते हैं और यहां साबित भी कर सकते हैं । इस तरह तो एक गलत परम्परा शुरू हो जायगी ।

श्री जे० के० जैन : आप बैठिए । जब आप बोल रहे थे, हम चुप थे । आप में कुछ शालीनता होनी चाहिए, भद्रता होनी चाहिए । आप कम से कम चुप रहिए ।

श्रीमती सरोज खापर्डे : वह कह रहे हैं नाम मत लीजिए । आप कलिंग ट्यूब कहिए ।

श्री जे० के० जैन : हां, कलिंग ट्यूब, कलिंग एयरवेज । श्री बिजू पटनायक के जो . . .

श्रीमती सरोज खापर्डे : फिर नाम ले रहे हो ।

श्री जे० के० जैन : नाम तो लेना पड़ेगा, दूध में वह पानी की तरह मिल चुका है । उपसभाध्यक्ष महोदय, और क्या बताऊं । इन्होंने तो अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए रिश्ते जोड़ने के भी काम किये । एच० एम० पटेल और श्री कान्ति देसाई का सम्बंध सारे हिन्दुस्तान को मालूम है । समधी हैं । देश के सोने को बिकवाने का प्रपोजल कान्ति देसाई ने भारत के वित्त मंत्री श्री पटेल के सामने रखा और पूरा एक प्लान बना कर प्रस्तुत कर दिया । किस ने प्रस्तुत किया ? एक समधी ने अपने समधी के सामने । उपसभाध्यक्ष महोदय, सौना बिकवा दिया । यह कौन सा सोना था ? चीन ने जिस समय हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारे देश की गरीब से गरीब महिलाओं ने चीन के आक्रमण के खिलाफ हमारे देश को यह सोना प्रदान किया था । उस सोने को दो समधियों ने मिलकर नीलाम करा दिया और देश के बाहर करोड़ों रुपये का सोना बिकवा

[श्री जे० के० जैन]

दिया । इसलिए इनको अपने शासन में यह बिल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी । मैं जानता हूं कि यह बड़े दुख की बात है क्योंकि वातावरण जो दूषित इन्होंने छोड़ा है यदि आज भी रहा है तो हम उसको रहने नहीं देंगे । हमारी राष्ट्रनेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात का ऐलान किया है कि हम गरीबों के लिए अपनी पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं ताकि हम देश को चलायेंगे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है इस बात को कहते हुए कि इस तरह का शर्मनाक बिल ये यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए आये । इनको इस बिल को वापस ले लेना चाहिये । श्रीमन्, मुझे इस बारे में एक दो सुझाव देने हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज के वैज्ञानिक युग में आज के पब्लिसिटी के युग में कोई भी काम हो, चाहे राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, वह बिना पैसे के नहीं चल सकता । मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कंपनियों के ऊपर जो पाबन्दी लगी हुई है चन्दा देने की, उस पाबन्दी को हटा दिया जाए ताकि काले धन का जो जेनरेशन है वह बन्द हो । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि राजनीतिक दल जो स्मारिकायें प्रकाशित करते हैं, उनको जो विज्ञापन दिये जाते थे उनके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उस प्रतिबंध को भी हटा दिया जाए ताकि राजनीतिक दलों का काम सुचारू रूप से चल सके ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी सुझाव है कि श्री बागाईत कर जी जो कहते हैं, जिनको हमारे ऊपर इतना सन्देह हो रहा है, उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि हमारे संसद सदस्य, हमारे विधायक यदि कोई व्यापार करते हैं या उद्योग-धंधा करते हैं तो उनके ऊपर एक सन्देह की निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए उनको भी दूसरे नागरिकों की तरह व्यापार या उद्योग धंधा लगाने का पूरा अधिकार है । इस सदन में इस बात के ऊपर चर्चा की जाए कि यदि कोई लेजिस्लेटर या मैम्बर पार्लियामेंट किसी तरह का उद्योग धंधा चलायें तो उनको अन्य नागरिकों की तरह देखा जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस घिनौने बिल का तहेदिल से विरोध करता हूं ।

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । समर्थन करने से पहले मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 34 साल बाद हिन्दुस्तान में ऐसा बिल लाना पड़ा है । यह शर्म की बात है कि 34 साल के बाद आज हम पार्लियामेंट के इस कक्ष में बैठकर सोच रहे हैं कि यह बिल हम अडाप्ट करेंगे कि नहीं । शर्म की बात यह है कि यह प्राइवेट मैम्बर्स बिल के रूप में आया है । जब जनता पूछ रही है कि हमारे मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं । हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे एम० पी० क्या कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से अभी भी ऐसा कोई बिल नहीं आया है जिससे हम जनता को कह सकें कि सचमुच हमारे मंत्री कैसे होते हैं, हमारे एम० पी० कैसे होते हैं । आज यह बिल इसीलिये लाना पड़ा है ।

श्रीमन्, अगर आप 1981 के न्यूज पैपर्स देखेंगे तो उसमें स्कैंडल ही

स्केंडल नजर आयेंग । पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खबर वही होती है कि उनमें सबसे ज्यादा इंवाल्व मिनिस्टर्स होते हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कौन चोर है, कौन नहीं है । मगर मैं इसकी जरूरत नहीं समझता । लेकिन यह डाउट यह शक जनता में पैदा हुआ है कि ये लोग कैसे हैं, करते क्या हैं । इसीलिए इस सदन से हमें कहना चाहिय, सीना तानकर कहना चाहिये कि तुम जो समझते हो वह हम नहीं हैं । मैं कुछ संसद सदस्यों से पूछना चाहता हूं, इसमें डरन का क्या सवाल है ? घबरा क्यों गये ? एक बिल आ गया तो इसमें घबराने की क्या बात है । हमें देखना चाहिये कि हम क्या थे और क्या हैं (**व्यवधान**)

श्री जे० के० जैन : अगर किसी की पत्नी को, किसी की बहन को, किसी की मां को.....(**व्यवधान**) कुछ कहा जायेगा तो जवाब मिलेगा ही .....(**व्यवधान**)

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is his maiden speech. He shoud not be interrupted. It is against the decorum.

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : मैं बोलना चाहता हूं, बोलने दीजिये । अभी शालीनता और भद्रता के बारे में जैन साहब बोल रहे थे ....(**व्यवधान**) शालीनता के बारे में जब जैन साहब बोल रहे थे, तो मैं सुन रहा था । मैं चुप बैठा था । अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं । (**व्यवधान**) मुझे बोलने दीजिये ।

श्री जे० के० जैन : बोलिये, बोलिये ।

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : मैं तो बोलूंगा ही । यह बोलने की जगह है । यह सवाल आज जनता के बीच में पैदा हुआ है । मैं बहुत सारे एक्जाम्पल दे सकता हूं लेकिन वेस्टेज आफ टाइम है । (**व्यवधान**) श्री गुंडुराव.....

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: Please don't mention about it. He is not present in the House. Don't mention his name. *(Interruptions)*

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : मैं किसी को चोर नहीं कहता हूं । आप बैठ जाइये । (**व्यवधान**) मैं डाउट के बारे में कह रहा हूं । किसी को चोर नहीं कह रहा हूं । (**व्यवधान**) अगर गुंडुराव का नाम पसंद नहीं तो अंतुले का नाम ले लूं । (**व्यवधान**) अंतुले का नाम भी पसंद नहीं करते तो जगन्नाथ मिश्र का नाम ले लूं । (**व्यवधान**) अगर यह भी पसंद नहीं तो आप ही बताइये मैं किस का नाम लूं । (**व्यवधान**) हमारी रिस्पेक्टिड प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले यह कहती हैं कि ग्लोबल फिनोमिना है । पूरे वर्ल्ड में करप्शन है । हिन्दुस्तान इसके बाहर नहीं है । हर प्रान्त में यह है और हर मिनिस्टर इसके बीच में है इसीलिये यह बिल लाया गया है । इसमें घबराने की कोई बात नहीं है । (**व्यवधान**) मेरा फर्स्ट एक्सपीरियेंस है और बड़ा इंटरेस्टिड एक्सपीरियेंस है । मैं यह कहना चाहता हूं बिल को सपोर्ट करते

Charity begins at home. Let us come and start it from here itself.

की जनता है । उनको यह बतलाना चाहते हैं कि हम यह शुरू करना चाहते हैं । आई फुल्ली एग्री विद सुकुल जी ।

यह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये है इसलिये इससे घबराने की बात नहीं है । चैरिटी बिगन्स एट होम । हम यहां से शुरू करें । हमारे जितने मिनि-

[श्री नेपाल देव भट्टाचार्य]

स्टर हैं, एम० पी० हैं उनसे यह शुरू होना चाहिये । हम जनता को यह कह सकेंगे कि हमने अपने से शुरू किया और आप भी शुरू करो । स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आफिशिल्स जिसके बारे में भी यह बात कही जाती है उनसे कह सकेंग कि हमने शुरू कर दिया है अब आप शुरू करो । अभी जैन साहब और सुकुल साहब कह रहे थे कि नीचे से शुरू करो । भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा । जनता हमसे पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो। यह जो बिल यहां पर लाया गया है यह एक अच्छा बिल है, हाऊस को इस पर विचार करना चाहिये और स्वीकार करना चाहिये। अभी श्री सुकुल जी ने कहा है कि —

Charity begins at home. Let us start with Parliament. (S^OTT)

श्री पी० एन० सुकुल : मैंने यह बात नहीं कही थी ।

I di(j not say^ 'Charity beings at the House."

I said, "Charity begins at home."

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): He has clarified the position about what he said.

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : मैंने होम नहीं सुना था । अगर आप होम से कहना चाहते हैं तो वह भी चल सकता है । आप हाऊस को छोड़ दीजिए। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर दीजिये। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बिल को सपोर्ट करना चाहिये । अभी आध घंटे या एक घंटे के बाद हम बुलगारियन डेली-गेशन से बात करने के लिये जा रहे हैं। क्या हम उनसे कहेंग कि आज 4 साल की आजादी के बाद भी हमा3हेदेश में भ्रष्टाचार पर बहस हो रही ? क्या यह सही नहीं है कि आज 4 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में 70 करोड़ जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है ? मारुति केस का क्या होता है ? हमारे यहां पर दुनियां भर के स्केण्डल होते हैं, फिर भी हमको शर्म नहीं आती है। मैं पुराने सवालों को नहीं लाना चाहता हूं । हमारे सामने सवाल यह है कि यहां पर हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहे हैं और किसी को चोर या डकैत भी नहीं कह रहे हैं, हम तो यह चाहते हैं कि सदन में जो एक अच्छी चीज लाई गई है उसको ड्यू रेस्पेक्ट देनी चाहिये । हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था यह पार्लियामेंट है । अगर हम इस प्रकार की चीज इस हाऊस से शुरू करेंग तो यह लोगों के सामने एक एक्जांपल होगा, एक उदाहरण होगा । जनता यह समझगी कि हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, वें खुद ही अपने बारे में इस प्रकार का कानून बनाते हैं । पुलिस का सुपरिन्टेन्डेन्ट भी समझगा कि ऊपर के लोगों ने इस प्रकार का कानून बनाया है । यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है । इसलिये इसका विरोध नहीं होना चाहिये ।

[उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) पीठासीन हुए]

जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी को डरने की कोई बात नहीं है । अगर आपने इसको पास नहीं किया तो जनता यह समझेगी कि एक प्राइवेट मेम्बर बिल आया तो उसको पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया गया । इसलिये आपको इस पर गम्भीरता से विचार

करना चाहिये । श्रीमती गांधी ने, विद डयू रेस्पेक्ट टू श्रीमती गांधी एण्ड टू दी चयर मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ग्लोबल फैनोमैना है । कुछ दिन पहले जब मैं पार्लियामेंट का सदस्य नहीं था तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इंफ्लेशन के बारे में कहा कि यह वर्ल्ड फनोमैना है और यह कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का मामला है । जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो यह कहा जाता है कि यह ग्लोबल फैनोमैना है । कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ही वाटर गेट के काण्ड होते हैं और दूसरे बड़े-बड़े स्केण्डल होते हैं । हिन्दुस्तान में भी मारुति के मामले होते हैं, गुण्डुराव के मामले होते हैं, अंतुले के मामले होते हैं । आप दूसरे वर्ल्ड की बात करते हैं । आपको इस बारे में भी सोचना चाहिये . . . (**व्यवधान**) । आप इरिटेट क्यों होते हैं, नाराज क्यों होते हैं ? इसमें जलन का क्या कारण हो सकता है ? . . . . (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAFIQ ZAKARIA): Please proceed with your speech.

श्री नेपाल देव भट्टाचार्य : इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए । अगर हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो बाहर जाकर हमें अपना सर झुकाना पड़ेगा कि एक नीति का सवाल आया था और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी नीति है उसके पक्ष में नहीं कह सके और हमने उसके खिलाफ कहा था । यह बात रिकार्ड हो जायेगी और यह हिन्दुस्तान की जनता के लिए, संसद् के लिए एक रिकार्ड बन जायेगी । इसलिये हम सबको इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए, यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवलाल बाल्मीकी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जनता ने हमें चुन कर भेजा है, संसद् सदस्यों को भेजा है। जो भी व्यक्ति यहां चुनकर आता है, जनता उस पर बहुत ही विश्वास करती है और उसको भरोसा रहता है कि अच्छे लोगों को हमने चुनकर भेजा है । इसलिए उनकी सम्पत्ति की समीक्षा करना यह उनके अधिकारों के खिलाफ है । जनता उनकी समीक्षा पांच साल के अन्दर स्वयं करती है । आज जिस बिल को पेश किया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे विरोधी दलों के लोगों को ऐसा कुछ विश्वास हो गया कि सरकार शायद हम लोगों के खिलाफ जांच करने वाली है और इससे घबड़ा कर उन्होंने यह बिल सामने रखा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जनता ने हमें विश्वास दिया है, जब हम लोगों को यहां चुन कर भेजा है, तो इस बात की समीक्षा करना हमारे लिए ठीक नहीं है; क्योंकि जनता ने बड़ी आस्था के साथ हम लोगों को भेजा है । अगर हम उनकी आस्थाओं को गिरा देंगे, उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो यह ठीक नहीं है । अगली बार हम लोगों को फिर जनता के सामने जाना है और इन पांच सालों के अन्दर जनता यह बता देगी कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बेईमान है और कौन धोखेबाज है और इस तरह के लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी । यह बात हमको याद रखनी चाहिए । मैं इस बात को इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि मैं शासन पक्ष में हूं । मैं इसे इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि हमें जनता का विश्वास कायम रखना है, उनकी भावनायें कायम रखनी हैं और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं । यह अच्छा काम नहीं है और माननीय सदस्यों को यह बिल वापस लेना चाहिए । मंत्रियों को हम

[श्री शिव लाल बालमीकी]

लोगों को जनता ने विश्वास पर चुना है और अगर जनता का यह विश्वास सत्ता-धारी पार्टी पर बना रहेगा तो हम देश के शासन को अच्छी तरह से चला सकते हैं, ठीक से देश का संचालन कर सकते हैं । जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना विश्वास दिया है और भरोसा किया है इसलिये जनता ने हमको विजयी बनाया है । उन्होंने हमें यहां हमारे ऊपर इन्क्वायरी कराने के लिए नहीं भेजा है । हम काम करेंगे और काम कर रहे हैं । पिछली बार जरूर जनता ने आप को चुनकर भेजा ने और उस वक्त हम विरोधी पक्ष में थे और आप शासन में थे । परन्तु आप अपने काम को सही अंजाम नहीं दिया और आज यह हमारे सामने बिल लाये हैं यह कोई अच्छी बात नहीं है । हम लोग यहां चुन कर आते हैं, हमारी किताबें खुली किताबें होती हैं, जनता स्वयं एक एक चीज को देखती है और देखकर हमको चुनती है । हम पांच साल के बाद फिर उसके सामने जायेंगे । हमारी किताब उसके सामने है और उस किताब को देखकर ही जनता हमें मत देगी । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा वे इस बिल को वापस लें और संसद् सदस्यों के खिलाफ चुने हुए जन-प्रति-निधियों के खिलाफ इस तरह का बिल लाना अच्छी बात नहीं है । जनता की अपनी एक प्रतिष्ठा है और जनता मालिक है, जिसने हम लोगों को चुन कर भेजा है, इससे उसकी प्रतिष्ठा में दाग लगता है, जो बहुत से व्यापारी हैं जिनके पास हजारों-लाखों रुपये हैं, स्मगलर्स है, करोड़ों रुपये जिनके पास हैं, जो गलत धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच के लिए बात होनी चाहिये । परन्तु अगर विपक्ष के संसद् सदस्यों को कोई शंका है और वे अपने खिलाफ इन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, वे लिख कर दे दें, उनकी इन्क्वायरी हो जायेगी । और उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि जनता क्या कहेगी, तो लिख कर दे दें, उनके खिलाफ इन्क्वायरी हो जायेगी । आज हमें इस बात का खयाल रखकर कि किस तरह से हमें व्यापा-रियों, स्मगलरों, उद्योगपतियों तथा जो दूसरे क्रिमिनल्ज हैं उनके बारे में विचार करना है तथा हमें जनता का विश्वास प्राप्त करना है । आज हमें यह देखना है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्रीमती उषा मल्होत्रा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो वागाईतकर जी लाए हैं मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं । मैं यह पूछना चाहूंगी जनता सरकार के समय में यह बिल इंट्रोड्यूस किया है, जनता सरकार के समय में इस पर डिसकशन नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ? आज हमको इस चीज की जरूरत कैसे महसूस हुई ? मैं यह समझती हूं यह अनुभव जो उस सरकार का था उसका जो रोष है वह आज उनके दिलों में उसी तरह तरो-ताजा है । वे भूल गये क्या अपने मंत्रिगण, अपने बड़े से बड़े जो इनके लीडर थे, नेता थे, उन्होंने क्या-क्या कारनामे किये थे, क्या वह उनको भूल गये हैं ? वह गलत हुआ या सही हुआ, यह वे अपने आप से पूछ लें । हमारे यहां की गरीब महिलाओं के मंगलसूत्र, बेटियों और बहनों के मंगल-सूत्र जो राष्ट्र की सेवा के लिए इकट्ठे हुए थे वे इन्होंने कहां बेच डाले मैं समझती हूं कि यह उन्होंने हमारे महिला समाज के ऊपर एक जुल्म किया है जिसको महिला समाज कभी माफ नहीं करेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहती हूं कि जब चुनाव हुआ तो हमारे में जनता ने विश्वास प्रकट किया जन-साधारण ने हमारे में विश्वास

रखा और हम चुन कर आए हैं। क्या आप उसको झुठलाएंगे। हम पांच वर्ष के बाद उन्हीं के पास वापिस जाएंगे, अगर उनकी कसौटी पर ठीक उतरे तो वापिस आएंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि हमें मौका फिर मिलेगा। मैं समझती हूं कि बार-बार हम यह सोचें कि हम आपके ऊपर इल्जाम लगाएं और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं तो इससे हम कोई सेवा जनता की नहीं करने जा रहे हैं। जनता सरकार के लोग क्या किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे, वे क्या किसी दूसरे ग्रह से यहां पर आये थे, यह बताइये ? ये भी उसी जगह के निवासी हैं, भारतवर्ष के निवासी हैं और हम भी भारतवर्ष के नागरिक हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है क्राइसेज आफ करेक्टर, ऐसा क्यों हुआ, यह आप सोचिये। बड़े से बड़े नेता के ऊपर आपने कमीशन बैठाये थे, बताइये इससे आप को क्या मिला, क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि किस-किस जगह की मैं बात करूं ? आपने किसी को नहीं छोड़ा। मैं कहती हूं कि कांग्रेस वर्कर से कांग्रेस नेता तक को आपने टार्गेट बनाया। क्या-क्या नहीं किया। अखबारों में झूठी बात ला कर आपने इल्जाम लगाये, लेकिन एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। मुझे यह बताइये कि आपका जो इलेक्शन का सिस्टम है, इसके लिए पार्टी को चलाना है। आपने तो चार-चार इलेक्शन्स के लिये धन जमा कर रखा है। मैं कहती हूं आप इस चीज के लिए तयार नहीं हैं, इसलिए आप यह कर रहे हैं। आप सोचिये पार्टी चलती है। तो कहां से चलती है। क्या पार्टी पानी और हवा से चलती है ? पार्टी तो आखिर पैसे से चलती है। इसके लिए अकाऊंटेबिलेटी हमारी है, यह हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है जिसको हम भली प्रकार से जानते हैं। इसीलिए हमारी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि उन को भी इस चीज के लिए चिंता है जितनी आप लोगों को है। यह इस तरह से शुरू होने वाली नहीं है। इसको आप शुरू कीजिये जहां से इसकी जड़ है, इसकी जड़ कहां है, इस धन का जखीरा कहां है ? यह बड़े-बड़े बिजनेस हाऊसस के पास है। जो हम इन्कम टैक्स रिटर्न भरते हैं आप का मतलब है कि क्या हम वह झूठा भरते हैं। संविधान के सामने, कानून के सामने क्या हम और आप झूठ बोल सकते हैं ? जहां पर हम गलती करेंगे वहां पकड़ जाएंगे। महल खड़े हो गये यह तो सब को दिखाई देता है जिनके नहीं हुए वे भी दिखाई देते हैं। आप लोगों के कारनामों ने 33 महीनों में ही आपको कहां से कहां ला कर बैठा दिया है। हम को तो तीस वर्ष से भी ऊपर होने जा रहे हैं। क्या वजह है कि जनता ने हमको विश्वास दिया; क्योंकि हमने सदाचार को अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश की और हमें लोगों को बताना है कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए हैं। भ्रष्ट विचार होंगे, तो भ्रष्टाचार चलता है। तो आज क्राइसेस आफ करेक्टर जो है, उसको रोकने की कोशिश कीजिये। एक्जाम्पल्ज हैं, वह सट होती हैं अपने घर से—जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम—हाऊस में नहीं कहा।

हम सब से पहले सिटिजंस हैं। एज सिटिजंस हमारा उत्तरदायित्व है, किसके प्रति ? समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। उसके बाद आप देखिये कि हमें यह मौका मिलता है, कसौटी से पूरे उतरे थे, यहां आ पहुंचे। तो क्या हम इस सुनहरे मौके को, जो आपको और मुझे सेवा करने का मौका मिला है, ऐसे खो देंगे कहीं, कभी नहीं। अगर दिल में यह डिटर्मिनेशन हो, तो मैं नहीं समझती कि आप कुएं में गिरेंगे। आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं? जो आपने जनता सरकार के वक्त में पहन

[श्रीमती उषा मल्होत्रा]

रखा था, उस चश्मे से देखेंगे, तो आप को सब बराबर दिखेंगे ।

एक बात और आपसे कहना चाह रही थी कि यह जो सोना है, इसके लिए क्या आपने उस वक्त आवाज उठाई थी कि यह कहां बिका, किन मंडियों में, किन हाऊसेज में गया ? आपने उस वक्त तो एक दफा यह आवाज नहीं उठाई, क्या वजह है ?

आपने कमीशन तो बिठा दिये, लाखों-करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, चाहे उसमें से कुछ भी नहीं निकला—लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यह बात आप ने की... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्या : और वह भी चुहिया मरी हुई... (**व्यवधान**)

श्रीमती उषा मल्होत्रा : और लाखों-करोड़ों रुपया इन कमीशनों को बिठा करके खर्च किया और आपने निकाला क्या—भ्रष्टाचार ढूंढने चले थे आप । लेकिन आप अपने गिरेबान में मूंह डाल कर के तो देखिये। पार्टी के लिए मैं यह बताऊंगी कि हमारा संगठन है और आप को मालूम है या नहीं, हम लोगों ने, पार्टी... (**व्यवधान**)

सुनियेगा—पार्टी के सदस्यों ने अपनी सूची भर कर के दे रखी है । आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमें गाहे-बगाहे अपना सारा एकाऊंट देना पड़ता है ।

SHRI DAYANAND SAHAYA (Bihar): Sir, she should address you and not us.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Why not. I am addressing him, and through him, I am telling you because you are the people who think that we have something to do with this.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAEKARIA): You better address me.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Sir j am addressing you but through you I am saying; they must listen.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ 2AKARIA); Instead of saying 'you' you aay 'them'.

श्रीमती उषा मल्होत्रा : मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप अपना जो आचार है, वह... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया) : आप ऐसा कहिए : 'मैं आप के जरिये उनसे यह कहना चाहती हूं'...

श्रीमती उषा मल्होत्रा : मैं आपके जरिये उनको यह कहना चाहूंगी कि अपने विचार जो हैं...

SHRI SADASHTV BAGAITKAR: Sir, you conduct a clas$_s$ outside; not here.

श्रीमती उषा मल्होत्रा : अपने आचार और विचार उनके अनुसार बदलें और सोचें। हम भी उतने ही परेशान हैं जितने कि यह लोग।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगी कि हम यह नहीं समझते कि सब चीज बिलकुल ठीक है। बिलकुल ठीक तो कहीं भी नहीं । अगर आप पूरे विश्व भर में देखें, हां, हम इस चीज को समझते हैं कि यह बहुत जरूरी है, पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, जो यह समझ रहे हैं ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहूंगी कि मैं इस बिल का कड़ा विरोध करती हूं जो बागाईतकर जी लाये हैं। धन्यवाद।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी हैरत इस बात की है—अफसोस की बाबत तो बाद में कहूंगी । मगर मुझे हैरत इस बात की है कि यह बिल बागाईतकर जी लेकर के आए हैं, और वह बागाईतकर

जी जोकि मुझे मालूम है कि पोलिटिकल वर्कर एक जमाने से रहे हैं, वह आज यह शर्मनाक बिल, यह अफसोसनाक बिल इस हाऊस के सामने लेकर आए हैं, मुझे हैरत है ।

मैं आपके जरिए से बागाईतकर जी से कहना चाहती हूं कि यह कैसी बात है कि आज आपने यह बिल लाकर सारे पोलिटिकल वर्कर्ज की इज्जत लूट ली और आपने सारे पोलिटिकल वर्कर्स को इसमें लाकर रख दिया । इस मुल्क में पार्लियामेंट का मेम्बर कौन होता है, मिनिस्टर कौन होता है ? ये सारे पोलिटिकल वर्कर्स तो हैं । पोलिटिकल वर्कर्स में एक मख्दूश हैसियत आपने बना दिया। पोलिटिकल वर्कर को आपने चोर और डाकू बना दिया । उस पर शक करना शुरू कर दिया । मुझे इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी के हैं, मगर पोलिटिकल वर्कर जो एम० पी० और मिनिस्टर हो, उसकी बाबत आप कहें हिसाब-किताब दें, इसका मतलब हुआ आपका उन पर भरोसा नहीं है । मुझे शर्म और अफसोस इस बात की है कि पोलिटिकल वर्कर्स जिन्होंने आजादी हासिल करने के बाद...

श्री सदाशिव बागाईतकर : आप कहां थीं, उस वक्त ?

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : आप सुनिए । मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रही हूं ; मैं पोलिटिकल वर्कर्स की बात कर रही हूं । पोलिटिकल वर्कर्स की बदौलत ही मुल्क की आजादी के बाद लैंड रिफार्म्स हुए, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, दुनिया भर के डेवलपमेंट के काम हुए हैं । पोलिटिकल वर्कर्स जो मिनिस्टर की हैसियत, एम० पी० की हैसियत से आते हैं, आपने उन पर शक किया और उनका हिसाब-किताब आप मांग रहे हैं । मुझे एक शेर याद आता है :

"कभी खुद पर, कभी हालात पे रोना आया ।

बात निकली, तो हर बात पे रोना आया ।"

बागाईतकर जी, आजादी की लड़ाई नौकरशाही ने नहीं लड़ी, पूंजीपतियों ने नहीं लड़ी । आजादी की लड़ाई के बाद जो काम हो रहे हैं, वे पोलिटिकल वर्कर्स के जरिए ही हुए हैं । वह पोलिटिकल वर्कर जो ग़लत काम करे, उसको सजा दीजिए, मगर आप सबके ऊपर शक कर रहे हैं । मैं एक बात बहुत ही पते की आपको बताना चाहती हूं । आप को मालूम है, मैं याद कराना चाहती हूं हाऊस को आपके जरिए, वाइस-चेयरमेन साहब कि एक वक्त था कि चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई के बेटे की बाबत यह कहा कि वह बेईमान है । फिर मोरारजी देसाई की पार्टी के लोगों ने, ग्रुप के लोगों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की बीवी ग़लत काम कर रही है या उनके दामाद ग़लत काम कर रहे हैं । उस दिन इन्होंने इस मुल्क की सारी जनता को बिलकुल हिला दिया, इसलिए कि उनके ऊपर भरोसा अपने दिल से निकाल दिया। हमारी जनता जो चुनती है अपने लीडर को वह यह उम्मीद करके करती है कि वह हमारा काम करेगा, वह ईमानदार है । आपने लोगों का भरोसा छीन लिया, आपने उनकी उम्मीदों को छीन लिया और उनको मायूस करके उस दिन से आपने क्या किया—इस मुल्क का करेक्टर छीन लिया; क्योंकि हर बच्चा यह कहने लगा कि अगर मोरारजी का बेटा बेईमान है तो हमको बेईमानी करने में क्या हर्ज है... (**व्यवधान**)....मैं नहीं कह रही हूं यह चौधरी चरण सिंह ने कहा, मैं कहती हूं ग़लत काम किया था और वह इसलिए

[श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह]

कहती हूं कि यहां का छोटे से छोटा वर्कर, छोटे से छोटा अफसर, बच्चे और बड़े, सभी यह सोचने लगे कि अगर बड़े-बड़े लोग बेईमान हो सकते हैं तो फिर हमें थोड़ी-बहुत बेईमानी कर लेने में क्या हर्ज है। बागाईतकर जी, मैं समझती हूं आपने इस पहलू को अच्छी तरह से समझा नहीं, वरना आप जैसे आदमी जो सोशलिज्म की बात सोचता है, बड़े-बड़े कामों की बाबत डेवलपमेंट, के कामों की बाबत सोचता है, जो यह चाहता है कि इस मुल्क की तरक्की हो, इस मुल्क की खुशहाली बढ़े, इस मुल्क के लोगों को खाने को रोटी हो, पहिनने को कपड़ा हो, रहने को घर हो, लेकिन आपने इस तरीके से सोचना शुरू किया कि उन सबको चोर बना दो, डाकू बना दो, बेईमान बना दो . . . (**व्यवधान**) मुझे मत डिस्टर्ब कीजिए, आपको बोलना होगा तो बोलिएगा। मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस बिल को लाने से आप क्या फायदा हासिल करेंगे? सिर्फ यही है कि जिस किसी मिनिस्टर को हटाना चाहते हो, उस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ ले आएंगे, जो किसी एम० पी० को हटाना हो या दूसरा आदमी टिकट लेने वाला होगा तो वह एम० पी० के खिलाफ में ले आएगा। मैं जानना चाहती हूं, जो चोर है, डाकू है, गलत है, बेईमान है, करप्ट है, वह चाहे अफसरों में हो, पूंजीपतियों में हो, एम० पी० में हो। मिनिस्टर्स में हो, उसको सजा दीजिए, मैं यह भी कहूंगी उसको एग्जेम्पलरी सजा दीजिए, चाहे जितना ऊंचा हो उसको बराबर की सजा दीजिए। अगर उसके खिलाफ प्रूफ हो जाते हैं कि उसने गलत काम किया है, ताकि हमारे बच्चे देखें कि गलत काम करने वाले पनप नहीं सकते। मगर आपको तो पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ यह बिल नहीं लाना चाहिए था; क्योंकि वह तो खुद जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। वह तो वैसा ही है —"टु कट युवर नोज टु स्पाइल युवर ओन फैरा"। उसके वर्कर्स उसके साथ हैं, उसके आसपास के लोग खुद ही उसको बुरा-भला कहेंगे। यह बिल तो अपने ऊपर इल्जाम लगाने के लिए है, सबको शक मशकूक आपने बना दिया। इसमें जो खतरा आपने पैदा किया है उससे जिसको जी चाहेगा, जिसकी जिससे दुश्मनी होगी, वह उसके खिलाफ बड़ा भारी इल्जाम लेकर आ जाएगा और तमाम इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि जनता पार्टी के जमाने में आपने जब इंक्वायरी कमीशन बैठाये, तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं हुआ। किसी के ऊपर कोई इल्जाम प्रूव नहीं हुए, कुछ नहीं निकला और काफी पैसा खर्च हुआ। सारा वक्त इसी में जाया हुआ। बजाय इसके कि मुल्क की तरक्की की बात करते, मुल्क को तरक्की की तरफ़ ले जाते, आपने सबूत दे दिया कि आपने लोगों पर भरोसा छोड़ दिया, इसी वजह से सारे इंक्वायरी कमीशन जो आप लोग लाये, उसका नतीजा आप भुगत चुके हैं। मुल्क ने समझ लिया कि आप लोग यही काम करते हैं, इल्जाम लगाओ और इंक्वायरी कराओ। कहीं कुछ निकला नहीं और आप लोगों को जनता ने छोड़ दिया इस सबूत के साथ कि आप लोग वक्त जाया करते हैं, जनता की भलाई का काम नहीं कर सकते। मैं बागाईतकर जी से कहूंगी कि आपने यह बिल जो पेश किया है, इसको वापस लें। जनता के सामने फिर इस तरह की बात मत कहिये कि जितने पोलिटिकल वर्कर हैं, जितने नेता हैं, वे बेईमान हैं। जो भी काम करेगा, वह प्रूव नहीं होगा, वह बहुत से इंतजामात कर लेगा कि उसका सबूत न मिले। जो सही काम करेगा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। आपका

वक्त भी इसमें जाया होगा । इसलिए मैं आपसे अपील करती हूं कि आप लोग इस काम को छोड़ कर, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़कर, एक दूसरे पर छींटाकशी करना छोड़ कर जो कि जनता पार्टी के जमाने में आपने आरम्भ किया था और खुद अपने को धन्यवाद किया, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, वह काम फिर से न दोहराइये और हर एक को बुरा-भला न कहिये । हम आपकी इज्जत करते हैं, पोलिटीशियंस की इज्जत करते हैं इसलिय कि वह जनता के नुमाइंदे हैं । इससे हम जनता की इज्जत करते हैं, अवाम की इज्जत करते हैं । जो यहां पर बैठे हुए हैं वह कहीं न कहीं से अवाम की सेवा करते हैं । जो अवाम की सेवा करने के लिये सामने आय हैं उनको आप कैसे जलील करेंगे ? उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है । आपको हमारी इज्जत करनी है । हमको आपकी इज्जत रखनी है। आप डेवलपमेंट के काम कीजिये ताकि लोग आपकी भी इज्जत करें और जनता की भी इज्जत हो सक । आपकी जनता पार्टी को लोगों ने हटा दिया, अवाम ने हटा दिया, मगर उसी बात को आप दोहराइये मत; क्योंकि जनता फिर यही समझेगी कि आपके पास कोई काम नहीं है सिवाय छींटाकशी के, सिवाय इल्जाम लगाने के सारे पोलिटिकल वर्कर्स पर, जो कि खिदमत करते हैं। क्या माने हैं मिनिस्टर के ? लोग समझते हैं कि मिनिस्टर हो गय, बड़ा आराम हो गया । मैं कहती हूं कि मिनिस्टर होना तो सबसे ज्यादा मुसीबत है । उसके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत है । उसको सबसे ज्यादा सोचना समझना पड़ता है ।

अंग्रेजी में एक कहावत है—

'Uneasy lies the head that wears the crown.'

आप इल्जाम बड़ी आसानी से पार्लियामेंट में ले आय । आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं । इल्जाम बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है। मैं फिर से अपील करती हूं कि जिसकी गलती है, उसको जरूर सजा दीजिये । बगाईतकर जी से मैं कहना चाहती हूं कि जिसकी गलती है, वह पोलिटिकल वर्कर्से हैं, तो उनको सजा दीजिये चाहे अपोजिशन में हैं या कहीं भी, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिये ।

4 P.M.

इसको पूरा देश देख ले, पूरी दुनिया देख ले कि जो गलत काम करेगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी । किसी मुसलमान और हिन्दू की लड़ाई हुई तो कह दिया कि सारी कम्युनिटी खराब है । इस तरह से आपको नहीं कहना चाहिए । अगर किसी एम० पी० या किसी मिनिस्टर की बाबत कुछ पता लग गया तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है । आपने यह कैसे तय कर लिया कैसे आपने पूरी कम्युनिटी के अपने पूरे साथियों को इसमें शामिल कर लिया ? जो मुल्क को बनाने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर शक किया जा रहा है । इससे मुल्क कैसे चलगा । सारी दुनिया आपको गलत कहेगी । देश का बच्चा-बच्चा कहेगा कि हमारे नेता गलत काम कर रहे हैं । आप हमारे करेक्टर को खराब कर रहे हैं । (**व्यवधान**) आपको आदत हो गई है । देश पार्टी से बड़ा है, जनता, पार्टी से बड़ी है इसलिये अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो जनता की भलाई के लिये काम करिये, जनता की सेवा करना चाहते हैं तो अपने साथियों की इज्जत को मत लुटाइय । जनता की तरक्की का खयाल कीजिये, देश की तरक्की का खयाल कीजिये । सोचिये कि किस से सही माने में सोशलिज्म आये, सोचिये कि किस तरह से हर एक को रोटी दी जाये, कपड़ा दिया जाये, घर दिया जाये; इंसाफ दिया जाये । भ्रष्टाचार खत्म हो;

[श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह]

हर एक के साथ इंसाफ हो। मैं बहुत ही सीरियसली आपके जरिये बागाईतकर जी से कहना चाहती हूं कि मेहरबानी करके यह बिल आप वापस ले लीजिये। इससे आपने अपनी पार्टी के एम०.पीज० और हमारी पार्टी के एम० पीज० को धोखा दिया है, इसलिये कि आपने उनका करेक्टर एसेसिनेशन कर दिया है। (**व्यवधान**) आप लड़ाई करें कैपिटलिज्म के खिलाफ, आज हमारा दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, (**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पक्ष में बोल रही हैं या विपक्ष में बोल रही हैं। (**व्यवधान**)

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : आप आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आप आपस में लड़ाई करना छोड़िये। आज अपोजिशन आपस में लड़ रहा है। इस तरह से कैसे मुल्क चलेगा। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। (**व्यवधान**) आज गरीबी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज हमारा दुश्मन गरीबी है, हमारा दुश्मन बरोजगारी है। आइये, साथ मिलकर इनसे लड़ें। लेकिन आपके पास फुरसत नहीं है इनसे लड़ने के लिय। जनता पार्टी, लोक दल के खिलाफ, लोक दल जनता पार्टी के खिलाफ, सी० पी० आई०, सी० पी० एम० के खिलाफ और सी० पी० एम०, सी० पी० आई० के खिलाफ लड़ रही है। एक दूसरे के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आप लोगों की आदत बन गई है। लेकिन मेरा कहना है कि इसको खत्म कीजिये। यह मुल्क के लिये जहर है। जब किसी की सरकार आती है, तो वह चूनी हुई सरकार आती है। डैमोक्रेसी का पहला प्रिसिपल यह है कि चुनी हुई सरकार, आवाम से चुनी हुई सरकार बने। अगर आपको अवाम से जरा भी मोहब्बत है, तो उसकी तरफ देखिये और जो गवर्नमेंट चुन कर भेजी है, उसकी इज्जत कीजिये, उसके साथ कोआपरेट कीजिये। हम देखते हैं कि हर लेवल पर आप जा-जा कर शरारत करते हैं। मुरादाबाद में गड़बड़ हुई और उत्तर प्रदेश में कई जगह पर गड़बड़ हुई। आप सब जानते हैं। मेरे पास प्रूफ है। हमारी पालिसी की मुखालिफत करते हैं। आप थोड़ी तादाद में हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं। मुरादाबाद, बेलछी और दूसरी जगहों पर वे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। जो हमारी पालिसीज का विरोध करते हैं, व सब हमारे विरोधी हैं। हमारी पार्टी में भी अगर कोई हमारी पालिसीज का विरोध करेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। इसलिये हमें ऐसी ताकतों से लड़ाई लड़नी है, जो हमारे देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। आज हम दुनिया के ऊंचे लेवल पर खड़े हैं। हमें दुनिया में अमन के लिये लड़ाई लड़नी है। जो मुल्क इंडियन ओशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। अगर इस तरह से बिल यहां पर लाये गए, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर यह बिल यहां पर पास हो जाता है, तो इससे हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो जायेगा, सब लोग परेशान हो जायेंग। अवाम हम पर भरोसा नहीं करेगा। मैं श्री बागाईतकर जी से कहना चाहती हूं कि इस बिल के पास होने से अवाम हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिय आपको करप्शन को खत्म करने के लिये कानून बनाने के बजाय एक मूवमेंट चलानी चाहिए। आप लोगों के बीच में जायें और उनको बतायें कि करप्शन बुरी चीज है, इससे मुल्क की तरक्की रुक जाती है। मैं समझती हूं कि इस तरह से यहां पर वक्त बर्बाद करने के बजाय हमें अच्छे काम पर वक्त लगाना चाहिए। अगर इंक्वायरी पर इन्क्वायरी होती जायेगी तो यह सिलसिला

कहीं भी खत्म नहीं होगा। कभी कोई परेशान होगा और कभी दूसरा परेशान होगा। यह कहना कि यह सब लोग बेईमान हैं, गलत हैं। मैं यह नहीं कहती कि श्री बागाईतकर जी इस बिल को किसी गलत मंशा से लाये हैं। लेकिन उनको किसने बताया कि सारे एम० पीज० बईमान हैं, सारे मिनिस्टर्स बेईमान हैं ?

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : श्री बागाईतकर जी तो खुद ही इस बिल को लाये हैं।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे किसी गलत चीज का हाथ है। उनके ऊपर कोई गलत इंफ्लूएंस है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Some evil influence?

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। जो भी एम० पी० इस तरह का बिल लाए तो उनको खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर लाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ने यह बात चलाई और इसका सिलसिला आगे चलता रहा। अगर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो इससे किसी का भला नहीं हो सकता है। फिर छीटाकशी का सिलसिला शुरू हो जायेगा और कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो सकेगा। इस बिल के जरिये से न तो हमारे देश की कोई तरक्की हो सकती है और न ही कोई दूसरा मुल्क का भला हो सकता है। इस बिल के जरिये से न तो हम समाज में कोई परिवर्तन ला सकते हैं और न ही शिक्षा में कोई परिवर्तन ला सकते हैं। इससे कई उलझनें पैदा हो जायेंगी। लोगों के अन्दर गलतफहमियां पैदा हो जायेंगी। यह कैसा सोशलिज्म है, जिसका बागाईतकर जी किसी जमाने में जिक्र किया करते थे। यह बिल . . . . .

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : वह अभी भी सोशलिस्ट हैं।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : एक बात याद आती है। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने इल्जाम लगाया था मोरारजी देसाई के बेटे पर उस तरह हम भी एक दूसरे पर खूब इल्जाम लगायेंगे और खूब मजा आयगा। क्या आप यही चाहते हैं ? आप कोई और विषय लीजिये और इस विषय को खत्म कीजिये। इस वक्त इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि हमें सब मिल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप ऐसा काम मत कीजिये।

"न काम देगी ये . . . . .

बागाईतकर जी सुन लीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Bagaitkar, she is analysing you.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I need not follow irrelevant facts.

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : मैं आपसे कह रही हूं कि आप यह तो सुन लीजिये कि

"न काम देगीं ये दम तोड़ी हुई शामें,
नये चिराग जलाओ कि रोशनी कम है।"

श्री रामचन्द्र भारद्वाज (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, बागाईतकर जी का यह विधेयक जो समक्ष आया है, इसको देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वैसे लोगों की ओर से, विरोधी दल के वैसे माननीय सदस्यों की ओर से, जो आज विरोधी पक्ष में बैठे हैं, कल सत्ता में थे और जिन्होंने हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों पर भ्रष्टाचार का एक भ्रष्ट इतिहास खड़ा किया, वे आज इस विधेयक को लेकर आते हैं तो इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता

[श्री रामचन्द्र भारद्वाज]

है और यह स्वाभाविक है । मगर फिर मैं सोचता हूं कि सम्भवतः अपने ढाई-तीन साल के कार्यकाल में जो कालिख में उनके दामन डूब गये थे जिस तरह से उनका चरित्र डेढ़ अरब जनता की आखों के सामने नंगा हो गया और जिस तरह से उन्हें शासन से बाहर भारत की जनता ने उनको ढकेला, शायद आज उसकी भड़ास निकालने के लिए, इस तरह के विधेयक को लाया गया है। ऐसे इसलिए भी लाये जाते हैं ताकि जनता यह समझे कि ईमानदारी, सच्चरित्रता के प्रति आज भी उनके मन में आस्था बाकी है । दरअसल बात यह है कि यह विधेयक भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उनका चरित्र भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है । इस तरह मुझे एक शेर याद आता है जिसमें यह है कि उसकी मजबूरी होती है कि एक तरफ भ्रष्टाचार का साथ दो और दूसरी तरफ सदाचार की बात करो । तब होता क्या है, इसे एक शायर ने कहा है :--

'उन्हें शौके इबादत है और गाने की आदत भी,

दुआएं उनके मुंह से निकलती हैं
ठुमरियां बनकर ।'

आज इसी हैसियत में वे हैं और उन्होंने देख लिया है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की नीति जो होती है वह किसी तरह से कहां से कहां पटक देती है । आज हमारे सामने जो यह विधेयक आया है तो हम सोचते हैं कि उस दिन वे कहां थे जब चौधरी चरण सिंह ने किसान रेली के नाम पर करोड़ों रुपये उगाहे और अपनी मर्जी से चारों ओर रुपयों को लुटाया, छिपाया और जब थोड़े रुपये बच गये जब थोड़े पैसे बच गये तो उसका ट्रस्ट बनाया । आज जब इस सदन में भ्रष्टाचार की बात उठाई जाती है, ट्रस्टों के भ्रष्टाचार की बात उठाई गयी है तो उस समय इन विरोधी सदस्यों द्वारा चरण सिंह के ट्रस्ट के बारे में क्यों यह बात नहीं उठाई गई । ऐसा ट्रस्ट तो भ्रष्टाचारी ट्रस्ट कहा जाता है जिसमें एक पैसा भी वहां जमा खाते में नहीं है । मगर वैसा ट्रस्ट जो सारा पैसा उड़ा देने के बाद बनाया गया हो, उस पर पर्दा डालने के लिए, उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए वे चुप रहे । क्या इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं ? मान्यवर ! श्री कांति देसाई का नाम भारत के भ्रष्टाचार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों पर, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा । मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में कांति देसाई ने जो भ्रष्टाचार का दृष्य इस देश में उपस्थित किया वह अपनी सानी नहीं रखता है । उन दिन ये नहीं सोचते कि डेढ़ दो अरब आंखें उन्हें देख रही हैं और नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा । किसी के कह देने भर से एफिडेविट दे देने से यह नहीं हो सकता कि उनके पास उतना ही कुछ है । भारत की जनता भारत के तमाम समाज सेवियों को भारत के तमाम राज-नितिज्ञों को खुली आंखों से नंगी आंखों से आर-पार देखती है और समय आने पर जवाब देती है और उनको सही जगह पर पहुंचा देती है जहां पर कि आज ये बैठे हुए है । इसलिए ऐसे विधेयक उनके चरित्र के काले रागों को धोने में कामयाब नहीं होंगे । मैं इतना ही विनम्रता पूर्वक विरोधी दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा जनादेश पा कर हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यह सुचारू रूप से सारा काम चल रहा है, देश के सामने विकास के नये कार्यक्रम आ रहे हैं और देश को नयी दिशा मिल रही है । देश को नयी प्रगति का मार्ग मिल रहा है, देश की प्रगति का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में

ऐसी छोटी छोटी बातें उठा कर विरोधी ऐसी छोटी छोटी बातों को सामने रख कर यदि ये यह बताना चाह कि हम कोई सदाचार के विरोधी हैं और ये सदाचार के हिमायती हैं और कोई भ्रष्टाचारी हों और यह कोई भ्रष्टाचार के बहुत बड़े विरोधी हैं। ऐसी बात नहीं है। जनता सब को पहचानती है और जानती है कि कौन भ्र-टाचारी है और जनता ने सब को समय पर जवाब दिया है और समय पर जवाब देगी। इसके लिये अगर हमारे विरोधी दल के लोग अपनी छवि सुधार लें तो शायद एक रचनात्मक सहयोग भी हमारी सरकार के साथ हो सकेगा तब सचमुच कोई ऐसा आदर्श हम अपने देश में अपने समाज में उपस्थित कर पाएंगे जिसके लिए हमें, हमारा देश, हमारा समाज बधाई का पात्र मानेगा अन्यथा मैं मानता हूं कि ऐसे अनुपयोगी विधेयकों को लाना सदन का समय नष्ट करना है और कुछ नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ कड़े शब्दों में इस बेकार और बेजान विधेयक का विरोध करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, Shri Bagait-kar has brought forward this Bill in this House and it has been running at a snail's speed all these days. It was taken up on 28-8-1981 and again on 11-9-1981, ^12-1981 and 18-12-1981.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): It has exhausted itself.

SHRI P. VENKATASTJBBAIAH: It has exhausted itself, but the Members who participated therein did not get exhausted. But they got excited. And while participating in the debate, all sorts of speeches were made, allegations were made against one an* other and lot of heat was generated at times.

I have to my credit 30-35 years of public life. And I know that the position of a public man is not always enviable. A person who does public service comes to the Parliament either as a Member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, or to the State legislature. He has a very difficult task to perform. He has to endear himself to the people by setting an example of simple living and high Khinking. Thten only he can keep himself alive in public life.

In 1937 when the first elections were held in our country, before we got independence, under the Government of India Act of 1935, in several of our States, much to the dismay of the British Government, unexpectedly Congress candidates were returned to the State legislatures, Then, Sir, a code of conduct was also evolved by the father of the nation, by Panditji and also by Sardar Vallabhbhai Patel who then happened to be the Chairman of the Parliamentary Board to select members to the various legislatures. Then it was felt hat the Congress Ministers should not take more than Ks. 500. A code of conduct was already evolved by the Congress Party even from the very beginning, before the dawn of independence, and it was felt that whatever actions we did as public workers or as Members of Parliament or legislatures would be judged by the people. We have not come here to Parliament or the State Legislatures to be there permanently. After all, our actions are judged by the people every five years and again we go to the poll and seek the mandate of the people. We have chosen deliberately the system of parliamentary democracy in which the Members are to be put or put to public scrutiny, to public criticism, every five years and that is the reason why every Member of Parliament or a member of the State Legislature would like to conduct himself in such a

[Shri P. Venkatasubbaiah] manner as to set an example to the people so that he may win their confidence and come back again. That is the pattern we have set up in this country. Ours is not a totalitarian country where free expression does not exist. Here our conduct is being scrutinised in so many ways. After all, Sir, an impression is being created in this country, unfortunately, in this country, an impression is being deliberately created by some Opposition parties, that the entire country is reeking with corruption. That is the most unfortunate aspect of t[ie] matter. Sir, what we deliberate "here, what we speak here, what is published in the Press, what sort of agitations we conduct, these are not confined to our country alone; they are spread throughout the world. We should not give such an impression that in India all of us are corrupt and that corruption is rampant or that the country is reeking with corruption. If that is the impression that we are going to give by our actions and speeches, we will not only be damaging the reputation of ourselves or our parties, But we also will be damaging the reputation of the entire country.

Sir, our country has got its own culture, its own standard of life and its own values which have been kept up in spite of several historical incidents or accidents which have taken place in this country. So, whatever we may do here, in whatever" manner we may behave, we should not give the impression that every Member of Parliament, every Minister, every legislator, every Chief Ministef.^is corrupt. So, we should not start with that impression. We have "to think, even according to the principles of jurisprudence, that everybody is honest till the contrary is proved. That should be the motto of everybody in this House. I do not question the intention of our friend, Shri Bagaitkar, who has brought forward this Bill in this House. Sir, he is a trade unionist and he has got a long political career and has been functioning as a very effective Member of the Rajya Sabha, sitting in the Opposition and discharging his duties towards his electorate. But I would only plead with him and request him to view, in the totality of circumstances, this Bill which has now come up before this House and see to what extent it is going to damage our political prestige and our career. It is not confined only to the Congress Party or the ruling party. All of us are involved. This Bill will cut across all our political barriers or political ideologies. No political party encourages or preaches corruption and no political party wants its own rank and file, its legislators, its Chief Ministers, to be corrupt and dishonest. Every political party tries to project its image in the public eye as a party of credibility, as a party consisting of honest people. There may be black sheep here and there. I do not think that in every political party every body is an honest man. But, Sir. there are several laws which have been enacted in this country to see that whosoever goes against the laws, commits a breach of the law and amasses wealth in an undesirable manner or behaves in such a manner as is prejudicial to the society or to the country, is proceeded against. Several laws have been enacted from time to time. The \Income-Tax Act is there, the Wealth Tax Act is there and there are other such Acts to see that if such persons, whether they are Ministers or ordinary legislators, violate the law, proper action is taken. So, in that context, we have to view this Bill and as far as this Bill is concerned, of course, I do not want at this stage to go into the various clauses because my friend, Shri Makwana, has very elaborately dealt with all the clauses. Whether some of them are workable, whether some of them are practicable, all these points are before the House. What I would like to say in this context is that this Bill is not going to

mprove the situation. The remedy

should not be worse than the disease. We are all concerned. Our Prime , Minister has time and again said that ^ she is concerned about some of the undesirable things that are happening in this country. We are very anxious to consult the Opposition parties, as a matter of fact, how best to evolve a code of conduct as far as practicable so that such things do not happen. The image of Members, to whichever party they belong, must be kept up. This is our concern. The Government wanted to take the opinion of the Opposition leaders how best to evolve a code of conduct in all these matters.

Sir, the Santhanam Committee has been appointed. They made certain recommendations. Information about the assets and liabilities of Ministers, whether at the Centre or in the States, has to be submitted to the Prime Minister if it is here or to the Chief Minister if it is in the Assembly. This code of conduct is being evolved and it is being adhered to. All State Governments, except one or two, with minor variations have accepted this sort of code of conduct. For people who are in service there is also a co3e and those people can be punished if they are found guilty, if they have done anything against the law. These are the set norms, for administrative action, for filing returns of our assets and liability and then making them published and keeping them in the Library. If a man has given a wrong statement, he has to be punished. These are not going to help us. People are very ingenious. If they are really corrupt, they can find a thousand and one ways to hide or put under the carpet whatever they like. But public opinion has to be created in this country. There must be a sort of code of conduct among all the political parties in order to see that as far r as practicable, as far as possible, this evil of corruption is rooted out from our political life. This can be achieved only by mobilising public opinion, by also having a sort of dialogue with all the political parties and the Opposition leaders. We have to sit together and find out a way out, but not by bringing such a Bill and °nly give an impression outside the country and also inside the country that the entire political parties, Members of Parliament and legislators are awfully corrupt and that is why a great leader of trade union movement like Shri Bagaitkar is compelled to bring forward this Bill. This will be a reflection not only on others but on Shri Bagaitkar also who happens to be a Member of this august House.

Since this matter has been discussed threadbare and also all the Members have participated who have made many valuable suggestions in the course of their speeches, in all humility I would like to appeal to Shri Bagaitkar to withdraw this Bill, so that looking to the conditions prevailing in this country he will not give an impression that in India everybody is corrupt. That impression should not go round. Suppose this Bill is passed by this soverign body of the people of this country, it will have its ramifications outside, it will have its implications, and a good thing may turn out to b$_e$ a bad thing.

Once again I request Shri Bagaitkar to withdraw this Bill. With these words I conclude my speech.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, मैं सभी सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतने कष्ट उठा कर अपने विचारों को हम लोगों के सामने रखा। इस बहस में जो मित्र बोले उन्होंने इस बिल विशेष की चर्चा ज्यादा नहीं की, आपने भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत की जो कि इस बिल का विषय नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गये सत्र में जो आश्वासन इस सदन को दिया गया है उस पर अमल होगा और देश में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उस की चर्चा करने

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

का मौका हम लोगों को मिलेगा। आम भ्रष्टाचार की चर्चा करने का मौका होगा, न कि यह बिल। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति सदन में अब है कि इस बिल के पीछे जो उद्देश्य हैं, इस बिल की पृष्ठ भूमि क्या है इस के बारे में अब बताना जरूरी हो गया है।

श्रीमन्, यह कहना कि इस बिल को लाकर हम लोग बदनामी मोल ले रहे हैं, दुनिया के सामने हमारा चेहरा खराब होगा, इस तरह का क्रिटिसिज्म बेबुनियाद है ऐसी मेरी राय है। जो मित्र यहां बोले उन्होंने यह भी रंग चढ़ाने की कोशिश की कि हम इस बिल को किसी दल विशेष को बदनाम करने के उद्देश्य से लाये। यह भी यहां कहा गया जिस से मैं पूरी तरह से इनकार करता हूं। अब जनता पार्टी की सरकार थी तब मैंने इस बिल का नोटिस दिया। तब सदन में रखा गया था। यह मंशा उस वक्त भी नहीं थी, आज भी नहीं है कि इस बिल के माध्यम से किसी दल विशेष को बदनाम करने का मौका ढूंढना है। शासक दल के खिलाफ बोलने के पचासों मौके रहेंगे। इस सदन में जब भ्रष्टाचार की चर्चा होगी तब अंतुले होगा, गुंडूराव आ जायेंगे, जगन्नाथ मिश्र आ जायेंगे। कोई बचेगा नहीं। इस बिल का सहारा लेने की मेरे लिए जरूरत कतई नहीं थी। मैं इस लिए कह रहा हूं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, खास कर आज भी जो मित्र बोले उन का भाषण सुन कर मैं दंग रह गया क्यों कि असल में यह जो बिल सदन के सामने है उस के पीछे यह मंशा कतई नहीं है जो इन मित्रों ने भाषणों में कहा या ध्वनित किया, इन मित्रों की जानकारी के लिए अब कुछ इतिहास में जाना जरूरी हो गया है।

श्रीमन्, जैन साहब भाषण करके चले गये, उनको इस बात का पता नहीं होगा—वह भाषण देकर, हमको गाली देकर चले गये।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया): उनको पता नहीं होगा कि आप जवाब देने जा रहे हैं।

श्री सदाशिव बागाईतकर: मेरा भाषण होगा इसका उनको पता नहीं रहा इसकी मुझे चिन्ता नहीं। उनको इस बात का पता नहीं होगा कि बिल की पृष्ठभूमि क्या है। मेरे पास सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट है जिसको सरकार ने कबूल किया। सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट सन् 62 की है और इसकी इन्ट्रोडक्शन में कहा गया है। यही मैं पढ़ रहा हूं। इसमें यह लिखा गया है :

"In June 1962 during the debate on the Demands for the Ministry oft Home Affairs, many Members of Parliament referred to the growing menace of corruption in administration. Replying to the debate on 6th June, 1962, the Hon'ble Minister for Home Affairs, Shri Lai Bahadur Shastri said:

"I feel that this matter should not be entirely left for consideration in the hands of officials. It is desir- \ able that there should be exchange of views between them and public-men of experience. Perhaps, Hon. members might have read in th« papers that I have suggested that a formal Committee should consider the important aspects of the evils of corruption. But I do not want to make it a formal Committee as such and wait for its report. Since we know most *of* the problems, the real point is to take remedial action. I, therefore, propose to request some members of Parliament and, 18 possible, other public men to hit with our own officers In order to review the problem of corruption and make suggestions."

यह तो सन्थानम कमेटी थी, इसके मेम्बर्स थे श्री के० संथानम, श्री सन्तोष कुमार बसु, एम० पी०, श्री टीका राम पालीवाल, श्री आर० के० खाडिलकर, श्री नाथपाई, श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी । इन लोगों की यह कमेटी बनाई गई थी । इस कमेटी ने करप्शन के जो अलग अलग, दायरे हैं उनके बारे में बहुत गम्भीरता से सोच विचार किया । इसको लेकर सरकार के सामने इस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें रखीं जिनमें एक सिफारिश जो विधायक या लेजिस्लेटर्स हैं उनके लिए भी है। सोशल अलाइनमेंट करके एक हिस्सा इसमें लिखा गया। उस परिच्छेद को पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा । इसमें लिखा है:—

"Next to Ministers, the integrity of Members of Parliament and of Legislatures in States will be a great factor in creating favourable social climate against corruption. We are aware that the vast majority of members maintain the high standards of integrity expected of; them. Still it has been talked about that some Members use their good offices to obtain permits, licences and easier access to Ministers and officials for industrialists and businessmen. It may be that some legislators are in the employment of private undertakings for legitimate work. In such cases it is desirable that such employment should be open and well known and should be declared by the legislators concerned."

Later on, it is said:

"This code should be formally approved by resolutions of Parliament and the Legislatures and any infringement of the code should be treated as a breach of privilege to be inquired into by the Committee of Privileges, and if a breach is established, action including termination of membership may be taken. Necessary sanctions for enforcing the code of conduct should also be brought into existence."

जिन मित्रों ने यहां वक्तव्य दिये, मैं चाहूंगा कि वे यह जो पृष्ठभूमि है उसको कम से कम समझ लें। यह जो बिल मैंने रखा है वह एम० पी० या किसी एम० एल० ए० को बदनाम करने के लिए नहीं रखा गया है। यह सारा का सारा इल्जाम गलत है ।

श्रीमन्, शायद इन मित्रों को यह भी मालूम नहीं होगा कि एक बिल डिस्क्लोजर आफ असेट्स आफ मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट बिल, 1973 पार्लियामेंट के एक सदस्य श्री आर० पी० ज्लगर्वदी, एम० पी० ने रखा था । इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो उन्होंने लिखा था, मैं वह भी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं —

"About four years baak the Tamil N&du Legislature had adopted a Resolution requiring all the Members of the Legislature including the Ministers and Presiding Officers of both the Houses to submit periodical returns to the respective Houses of all properties owned, acquired or inherited by the Member or held by him on lease or mortgage either in his own name Or hi the name of any member of his family, etc."

This was a Private Member's Bill brought as back as 1»73. This is the record of Parliament

इसलिए श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बिल की मंशा क्या है । मुझे बड़ा दुख हुआ कि वैंकटसुब्बैया भी यह कह गये कि मुल्क इससे बदनाम हो रहा है कि मुल्क में करप्ट लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम ये बातें करना बन्द कर देंगे तो इस पर पर्दा डाल सकते हैं आप ? असल में

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

बात यह है कि सही दृष्टिकोण इसके बारे में हम लोग क्या लेते हैं । इस बिल को लाने के समय मैंने सोचा कि जम्हूरियत, लोकतंत्र की व्याख्या आप क्या करते हैं । लोकतंत्र में चुनाव हो, शासन प्रणाली विशेष तरह की हो, अपोजिशन पार्टीज हों, इससे ही लोकतंत्र नहीं बनता । मेरी दृष्टि में लोकतंत्र की बुनियाद है एकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही । अगर लोकतंत्र में जवाबदेही, एकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो वह लोकतंत्र लूला-लंगड़ा हो जाएगा, चल नहीं पायेगा । अगर मेरे मित्र यह कहते हैं कि आज देश में जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में एकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रखते तो, आपकी राय से, मुझे माफ करेंगे, मैं सहमत नहीं हूं ।

आज जगह जगह यह हो रहा है । लोकतंत्र की दूसरी बड़ी आस्था है मर्यादाओं का पालन । मर्यादाओं का पालन आप नहीं करेंगे । एकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के असूल आप नहीं अपनायेंगे और फिर आप हमको बतायेंगे कि हम लोकतंत्र को चला रहे हैं । वह सही माने में लोकतंत्र नहीं होगा । वह लूला-लंगड़ा होता चला जायेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Accountability to whom? Accountability to the people or to an outsider?

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Accountability to the people. I say. There is no dispute about it.

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल पर अमल हो रहा है ? यह स्थिति देश में जब बन जाती है कि अंतुले साहब के खिलाफ जजमेंट आने के बाद यदि 90 परसेंट कांग्रेस (आई) एम० एल० ए० कहते हैं कि वी सपोर्ट अंतुले तो इसका जवाब लोकतंत्र की दृष्टि से आपके पास क्या है । यहां पर एकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है, मर्यादाओं की रक्षा का प्रिंसिपल है ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): **But** *&« hi*n command within minutes asked for Ms resignation.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: But 90 per cent of MLAs of Maharashtra said, we support MivAntulay.

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र का सही माहौल देश में कायम रखना है तो क्या आपके पास इसका यही जवाब है । जरूरत इस चीज की है कि कोई भी विधायक, कोई भी संसद किसी भी कानून के ऊपर नहीं है बल्कि कानून के अंदर रहकर उसे काम करना होगा । आज आम आदमी यह कहता है कि आप संसद सदस्य हैं आप विधायक हैं इसलिये जो आप चाहें करवा सकते हैं । सामान्य आदमी यानी सिटीजन और उसके रिप्रजेनटेटिव के बीच आप खाही बढ़ाते जा र हैं । इससे लोगों का वि वास उठता जा रहा है । मैं अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं । साल्वे साहब आपको वह दिन याद दिलाना चाहता हूं जब हम महाराष्ट्र पर हमला करते थे ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAfKARIA): You address me now. You address Mr. Salve also through me.

श्री सदाशिव बागाईतकर : साल्वे साहब का सिर्फ ध्यान खींच रहा हूं । मैं उनको पुरानी याद दिलाना चाहता हूं । वह जमाना था जब मामूली से मामूली आदमी को चुनाव में खड़ा करके उसको सफल बनाने में हम अपनी इज्जत समझते थे । मुझे याद है 1937 का वह दिन . . जब पहला चुनाव इस देश में हुआ था । महाराष्ट्र के सतारा जिले में, वसन्त

दादा से पूछिये कि आत्माराम पाटिल जैसे आदमी जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, ऐसे आदमी को हमने एक उद्योग-पति के खिलाफ जिताया। उस समय हमको घमंड था। इसमें हम गौरव अनुभव करते थे। हमको लगता था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वहां से लेकर आज तक हम कहां पहुंच गये हैं। लोकतंत्र में आस्था कायम करने के लिये, लोकतंत्र चलाने के लिये अगर आप एकाउटेबिलिटी के प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, कायदे के अंदर रह कर काम करने के प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। आज ही के अखबार में आपने पढ़ा होगा। एक संसद् सदस्य के बारे में खबर है। आप कह सकते हैं कि लोकदल का संसद सदस्य होगा। वह संसद् सदस्य रेलवे क्रासिंग को पार करना चाहता था पर रेल फाटक बंद था क्योंकि गाड़ी आने वाली थी। उसने रेलमैन को कहा कि वह फाटक खोल दे लेकिन उसने नहीं खोला क्योंकि गाड़ी आने वाली थी। तब उसने अपने बोडी गार्ड को कहा कि सिगनल खींच दे और वह उसने कर दिया। इसके बाद उसने अपनी जीप बीच पटरी में खड़ी कर दी। इससे सारा ट्रेफिक रुक गया। गाड़ी भी रुक गई, बसें भी रुक गई। झगड़ा होने की नौबत आ गई थी। क्या इस मनोवृत्ति का विषलेशण आप नहीं करेंगे? (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : इसका करप्शन से क्या संबंध है?

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, मैं यह एक मनोवृत्ति की बात कर रहा हूं। इसका मनोवृत्ति के साथ संबंध है यह सोचना कि चूंकि हम संसद् सदस्य हैं, हम कानून से ऊपर हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है, गलत है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. HAFIQ ZAKARIA): Even an incorruptible man can behave like that.

श्री सदाशिव बागाईतकर : मैं इस बारे में कोई दलील तो नहीं दूंगा, लेकिन यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई संसद्-सदस्य यह मानने लगे कि हम कानून से ऊपर हैं, हम किसी कानून से बंधे हुए नहीं हैं, हमारे ऊपर किसी मर्यादा की जिम्मेदारी नहीं है तो इससे हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति संसद् सदस्यों में बन जाएगी तो हमारे देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिये मैं यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं और इस विधेयक को यहां पर लाया हूं। जो तमाम बातें यहां पर कहीं गई हैं, चाहे वे अज्ञानवश कहीं गई हैं या किसी और वजह से कहीं गई हैं, उन सब का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं। वैल्थ टैक्स या दूसरी बातों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं आज लोगों के सामने महात्मा गांधी की कोई बात करना भी बेमाने है क्योंकि वे महात्मा गांधी को जानते ही नहीं हैं। वे तो सिर्फ एक गांधी को जानते हैं जो उनको प्रिय हैं। मैं, महात्मा गांधी ने, जो बात कही थी उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि लोक प्रतिनिधियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि जिसमें सामान्य जन और लोक प्रतिनिधियों के बीच में कहीं खाई न रहे और उनके बीच में कम से कम खाई होनी चाहिये यह बात उन्होंने कही थी। हमारे देश में आज जिस प्रकार से लोक प्रतिनिधि व्यवहार करते हैं और जिस प्रकार की प्रणाली वे अपनाते हैं उससे लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती जा रही हैं क्या यह बात सही नहीं है कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिये जिस व्यक्ति के पास तीन या चार लाख रुपये नहीं है वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है? फिर कानून

[श्री सदाशिव बगाईतकर]

में जो भी लिखा हो। 35 हजार या 50 हजार रुपयों की ही जरूरत है । मैं इन बातों की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सवाल मर्यादा और जवाब देही का उसूल कैसा टूटता चला आ रहा है उसका उल्लेख मात्र कर रहा हूं।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

इस बिल के माध्यम से किसी को बदनाम करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। संथानम् कमेटी की जो रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं उन्हीं को ध्यान में रख कर यह बिल लाया गया है। अगर हम इस बिल को पास करते हैं तो कुछ अंश में हम इस स्थिति को बदल सकते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बिल इम्प्रेक्टिकेबल है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मगर उन्होंने इस बिल को व्यावहारिक रूप देने के लिए अपना कोई संशोधन पेश नहीं किया है । अगर वे इस बिल को व्यावहारिक रूप देने लिए कोई सुझाव देते कोई संशोधन देते तो मैं उसको मान लेता। लेकिन किसी ने कोई संशोधन नहीं दिया। अगर हमने अपने सार्वजनिक जीवन में कोई मर्यादाएं कायम नहीं कीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम निकल सकता है। महाराष्ट्र में अंतुले साहब को हटा दिया गया । अंतुले साहब को जब नहीं हटाया गया था तो वे कहा करते थे कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता है । जस्टिस लेंटिन ने भी अपने जजमेन्ट में यह बात कही है। श्री अंतुले का विचार था कि उन पर कोई पाबन्दी नहीं है, कोई रूल नहीं है। किसी भी नियम के अन्दर उनको नहीं हटाया जा सकता है, इस प्रकार की भावना उनके अन्दर बन गई थी । अच्छे काम के लिए हम चाहे वह रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, अच्छे काम के नाम पर गलत काम हो ही नहीं सकता, इस तरह की बात उन्होंने कही और उनके गलत तरीकों का इंकार इस सदन में हुआ, इस सदन में वित्त मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से यह बात साफ हो गई है कि इस तरह की बात उन्होंने बार-बार—एक आध बार नहीं बल्कि हमेशा यह कहते रहे—और इसके नतीजे में उनको जाना पड़ा । तो मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा है । इन मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं हो रहा है इसकी खोज जरूरी है । इसलिए कि आखिरकार लोकतन्त्र को चलाने का आपका संकल्प है । लोकतंत्र की जो संस्थायें हैं, विधान सभायें, संसद् अगर इनको चलाने की मंशा है तो यह मान कर चलना पड़ेगा कि कुछ मर्यादाओं में रह कर हम काम करें, नियमों के अन्दर आचरण करें । नियम और कानून से मर्यादित रहें । यह अगर वह नहीं होगा चाहे शासक दल में हो या विरोधी दल में, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि शासक दल में जो लोग हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको ज्यादा इन बातों का ख्याल रखना चाहिये और उनको अपने काम से अपने चरित्र का सबूत पेश करना चाहिये कि मर्यादाओं का पालन करके व लोग अपना काम कर रहे हैं । यह नहीं कि मनमाने ढंग से वह काम कर रहे हैं। इसलिए शासक दल जो है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है । इसलिए इस विधेयक के बारे में जो टीका-टिप्पणी हुई उसका उल्लेख, मैं यह नहीं समझता कि बिल्कुल गैरवाजिब उल्लेख है । इसमें कई गलत चीजें कही गयीं। एक माननीय सदस्य श्री के० आर० राव, जो शासक दल के हैं और आंध्र से हैं, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन करने की हिम्मत की। इसका एक ही कारण है कि व अनुभवी हैं । जब

संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई तब वे आंध्र में असेम्बली के सदस्य थे । तो यह समस्या क्या है इसका उनको अनुभव है । तो कम से कम उन्होंने इस बिल के पीछे हमारी जो मंशा है, इसके पीछे जो हमारी भावना है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह की बात उन्होंने कह दी कि यह बिल अलग रूप से आ सकता है लेकिन इस बिल के पीछे जो हमारी मंशा है उसका उन्होंने समर्थन किया। यह भी उन्होंने कहा कि क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जिस तरह के परिवर्तन अभी आये हैं उसका उन्हें अनुभव है । इसलिए मैं उनका आभारी हूं । लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि सरकार इस बिल को असूल के नाते भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे बिल भी आप कबूल नहीं करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा ? श्रीमन्, मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं . . .

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री सदाशिव वागाईतकर : समाप्त कैसे करूं । जिस तरह की बात इस पर कही गई है कि हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो गलत फहमी रहेगी उन पर बोलना आवश्यक है ।

मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । मेरे पास "इकानामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली" का इश्यू है, 16 जनवरी का । उसमें यह लिखा हुआ है—मैं और बातें छोड़ देता हूं—कि देश में काला धन कितना है । इसके बारे में उसमें है कि :

"The results indicate that unreported activity as a proportion of the official GNP has grown from 9.5 per cent in 1967, to nearly 45 per cent in 1978. Higher taxes have contributed significantly to the growth of the unofficial economy. A one per cent increase in overall taxes leads to more than 3 per cent increase in the unofficial economy relative to the official economy."

एस्टीमेट आया है कि देश में काला धन कितना है । "इकानामिक टाइम्स" में 18–19 दिसम्बर के इश्यू में इसके बारे में एक अनुमान आया है कि जो 49 प्रतिशत इन '78, अगर इसका आज के आंकड़ों से हिसाब किया जाये 40 हजार करोड़ से लेकर 50 हजार करोड़ तक का काला धन इस वक्त इस देश में है। यह इसका अनुमान है । कितने व्यापक पैमाने पर यह काला धन है जो देश में जमा हो रहा है । काला धन जिन तरीकों से जमा हो रहा है वे तरीके क्या हैं मैं इस समय उनका ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । काले धन का इक्ट्ठा होना और काले धन का इस्तेमाल होना, काला धन सिर्फ उद्योगों में लगता है, ऐसी बात भी नहीं है । काले धन का इस्तेमाल . . . (**व्यवधान**) मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कानून से ऊपर रहने की जो मनोवृत्ति है और जो कानून और नियमों का पालन न करने की जो मनोवृत्ति है उसके क्या-क्या परिणाम हो रहे हैं । इसका भी एक सबूत है । यह कोई मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि काला धन बहुत बड़े पैमाने पर आपकी राजनीति में भी घुस आया है । चुनावों में काला धन काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है (**व्यवधान**) यही नहीं . . .

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : बोट क्लब में जो पैसा इक्ट्ठा किया गया वह काला धन था, पीला धन था, कौन सा था । (**व्यवधान**)

श्री सदाशिव वागाईतकर : श्रीमन्! मैं तो यह कह रहा हूं चुनाव को छोड़िये

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

राजनीति में भी कितना काला धन इस्तेमाल होता है इसका कोई हिसाब नहीं होता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञ दलों द्वारा जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं हो रहे हैं अभी-अभी बंगलौर में एक एम०पी० श्री राजीव गांधी साहब के लिए किया गया, हैदराबाद में हुआ । एक-एक दिन के कार्यक्रम पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब दो लाख, तीन लाख, चार लाख का धन खर्च हो जाए तो यह धन कहां से आता है ? क्या लोगों के मन में इससे शंका नहीं होगी ?

श्री जे० के० जैन : देखिये क्यों उनका स्वागत होता है इनको परेशानी इस बात से नहीं है यह इसके नाम पर हमारी पार्टी के लीडर्स का नाम इस तरह से जोड़ते हैं, यह इनको शोभा नहीं देता है ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आप बैठ जाइये । आप जो बोले थे यह सब रिकार्ड पर है । आप क्यों चिंता कर रहे हैं नाम की । हम कम से कम सभ्य भाषा में बोल रहे हैं कोई किसी को गाली गलोच नहीं कर रहे हैं । हम किसी को चोर नहीं कह रहे हैं, किसी को बदमाश नहीं कह रहे हैं । श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह था कि राजनीति में इस तरह का काला धन है और इसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है । इसको कैसे रोकें यह भी एक समस्या है । आपको इस बात की जानकारी है कि संसद में पुराने जमाने में मुंद्रा कांड हुआ, सरकार द्वारा उसकी तहकीकात हुई, ऐसे सारे मामले सदन के सामने आए हैं । ऐसे कई मामले हुए हैं, कई कमीशन बैठाये गये हैं जिसमें जो कार्यवाही हुई है, सारा ब्यौरा दिया गया है यह कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि जिस ढंग से 25–30 सालों में तजुरबे आए हैं गलत काम नहीं हो रहे हैं । करने वाले जो भी हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है यह कहने की स्थिति में हम बिलकुल नहीं हैं । इसको हम लोग मान लें । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर हमको उदाहरण प्रस्तुत करना है और मर्यादाओं का पालन करने का दायित्व लोक-प्रतिनिधियों के नाते अगर हम लोगों पर है तो हम उसको इन्कार नहीं कर सकते और इन मर्यादाओं का पालन करने के लिए कुछ कानून की व्यवस्था करनी पड़े, उसके अन्तर्गत हमें जिम्मेदारी उठाने का काम करना पड़े जैसे कि मैंने अभी बताया है कि तमिल नाडु जैसे राज्य में यह है वहां के विधायकों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, उस तरह का काम अगर हमको करना पड़े तो यह कोई कह कर इस तरह से बोले कि इससे तो हमारी बदनामी होती है **(व्यवधान)** इसलिए मैं समझता हूं कि . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती ऊषा मल्होत्रा : पच्चीस वर्षों से . . . **(व्यवधान)**

श्री सदाशिव बागाईतकर : आप का भाषण तो हो गया है । अब आप चुप बैठ जाइये **(व्यवधान)** मैं कोई आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूं **(व्यवधान)**

श्रीमती ऊषा मल्होत्रा : आप अपने को सुधारिये, हम लोगों को . . . **(व्यवधान)** छोड़िये **(व्यवधान)**

श्री सदाशिव बागाईतकर : मुझे बड़ा खेद होता है जैसे अभी-अभी वेंकट सुब्बरया साहब ने यह फरमाया कि इस तरह की बातें करने से हम लोगों की छवि विदेशों में भी धूमिल होती है । मैं इस दलील के साथ सहमत नहीं हूं । छवि धूमिल होती है मैं इस बात को नहीं मानता हूं और इस विधेयक को जो मैं लाया वह इसलिए लाया कि हम अपने उत्तरदायित्व

को, हम अपनी एकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को स्वीकार करते हैं । लोक प्रतिनिधि के नाते हम लोगों को लोगों के सामने खुली किताब की तरह होना चाहिए । हमारे जीवन में हमारे पास यह है यह नहीं है, हमें उसको रखना है। हम उससे कतराते रहे हैं । इस बात को साफ ढंग से लोगों में रखने की हिम्मत अगर लोक प्रतिनिधि में नहीं है तो मैं नहीं मानता हूं कि लोक प्रतिनिधि के नाते हम लोग कुछ असरदार ढंग से काम कर सकते हैं. . . श्रीमन्, मझे और समय लगेगा ।

श्री उपसभापति : और समय लगेगा, ठीक है"

We shall continue it on the next day. Hon'ble Minister will now make a statement.

5 P.M.

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER

Indians scientific expedition to Antarctica

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr, Deputy Chairman, Sir, I have immense pleasure in informing the House of the successful landing of our first Indian scientific expedition to Antarctica at 00.30 hrs. on the 9th January, 1982. Twenty-one scientists and technicians, drawn from different disciplines, participated.

Th$_e$ main objectives were to study the meteorological and other conditions of Antarctica, which are believed to control the monsoons. The team also carried out observations in glacio-logy, geo-magnetism, geology, and physical, chemical and biological oceanography. Their observations included measurements of temperature pressure wind speed, humidity, sur-• face ozone, cloud visibility, radiation, radio wave propagation etc., on the way out to Antarctica, on the continent itself and on the return journey.

Glaciology, geology and physical, chemical and biological conditions were observed on the Antartican land mass. Some rock samples, which appeared to be similar to rocks found in the Deccan, were also collected. However, detailed analysis will be needed to establish whether the Dec-can and Antarctica were joined toge-trer at any time.

The expedition team set up o$_n$ unmanned weather station to collect meteorological data in Antarctica. Power is supplied to the station by solar panels fabricated in India. The continuous record on the cassette can be retrieved at th$_e$ end of the year and replaced for further recording. The site of the station has been named 'Dakshin Gangotri' and a brass plaque commemorating the expedition has been put up.

The team successfully tested the quality and performance of Indian equipment and materials like watches, walkie-talkie sets, cement dehydrated food, batteries and nylon ropes in sub-zero temperature conditions. The team spent about 11 days on the continent. The leader ig back and the rest of the team is expected to return to Goa o$_n$ or around the 20th of February, 1982.

The successful landing of the expedition on Antarctica is one more proof, if such be needed, that Indian scientists and technologists Save the capability to undertake'the most hazardous and complex tasks. I am sure Hon'ble Members will wish me to convey their congratulations to the entire team. We also acknowledge with appreciation the valuable supporting services provided by the Indian Navy. When the data are analysed, they should throw important light on the history of Antarctica 'and its effect on the climate of the Indian Ocean region. In undertaking this advanced work India has now joined a select band of countries. The significance of this expedition for, and also its impact on, our younger generation will be as important as its